00028
164

सिरमौर जिले से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2010

मूल्य

अन्तर्देशीयःरूपए 65.00

विदेश में: 5 अमरीकी डॉलर

(डाक खर्च/वायुमेल सहित)

http://www.cag.gov.in

00028

सिरमौर जिले से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

http://www.cag.gov.in

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ सं0
	प्रस्तावना	(iii)
	कार्यकारी सारांश	(v)
1	परिचय	1
2	लेखापरीक्षा ढांचा	3
3	योजना	5
4	वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन ढांचा	6
5	सामाजिक सेवाएं	8
6	आर्थिक सेवाएं	31
7	सामान्य सेवाएं	46
8	अनुश्रवण तंत्र तथा मूल्यांकन प्रभाव	54
9	सारांश	57

प्रस्तावना

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के जिला केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है। प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. लेखापरीक्षा ने वर्ष 2004 से 2009 के दौरान सिरमौर जिले में कार्यान्वित महत्वपूर्ण समाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सिरमौर जिले से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में राज्य योजना विभाग, उपायुक्त कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चयनित खण्ड, ग्राम पंचायतें, नगर पंचायत राजगढ़ तथा नगर परिषदें नाहन व पांवटा साहिब, अन्य विभाग तथा विभिन्न जिला स्तर कार्यान्वयन एजेंसियां सम्मिलित हैं।

3. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

एकीकृत स्थानीय क्षेत्र विकासार्थ वित्तों के अंतरण की जिला-केन्द्रस्थ पहुंच हेतु भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा महत्व स्वीकारते हुए सिरमौर जिला की जिला-केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा की गई जिसमें वर्ष 2004-09 के दौरान जिले में विभिन्न समाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों के कार्यान्वयन की कार्यस्थिति व प्रभाव का निर्धारण और लोगों के जीवन की गुणवता में क्या सुधार हुआ, का मूल्यांकन किया गया।

समीक्षा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जलापूर्ति से सम्बद्ध मूल समाजिक क्षेत्र कार्यक्रम, सड़कों व अन्य अवसंरचना के सृजन, रोजगार सृजन, बुनियादी नागरिक सुख-सुविधाओं के प्रावधान तथा बेहतर जन सेवाएं आदि मुहैया करवाने से सम्बंधित आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है।

यद्यपि लेखापरीक्षा में स्वास्थ्य व शिक्षा से सम्बद्ध समाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के बहुत से सकारात्मक मामले सामने आए तथापि, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर राज्य/जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है।

योजना

लेखापरीक्षा संविक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति ने जिले के समग्र विकासार्थ कोई संदर्श योजनाएं अथवा वार्षिक कार्य योजनाएं अथवा स्कीमों की शेल्फ तक नहीं बनाई। खण्डों व ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय स्तरों के प्रशासन योजना प्रक्रिया के किन्ही निवेशों को मुहैया करवाने में सम्मिलित नहीं थे स्कीमों को स्थानीय निम्न वर्ग को आकलित लाभानुसार सांसदों/विधायकों/अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित उपायुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर संस्वीकृत किया गया था। वस्तुतः एकीकृत जिला योजना का अभाव रहा।

खण्डों व ग्राम पंचायतों से निवेशों सहित जिले के विकासार्थ संदर्श योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं के अभाव में विभिन्न विकासात्मक स्कीमों/कार्यक्रमों में रिक्त्यिों की पहचान नहीं हो सकी परिणामतः समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों तथा जिले में विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों के मध्य असमानताओं का पता नहीं लगाया जा सका।

सिफारिशें

जिले के अधिक यथार्थ निर्धारणार्थ खण्डों व ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से निवेशों की प्राप्ति हेतु अवसंरचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित जिले के लिए वास्तविक परिप्रेक्ष्य में तथा एकीकृत वार्षिक योजनाओं को बनाना चाहिए।

लेखांकन ढांचा एवं वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2004-09 के दौरान जिले में निधियों की कुल प्रचुरता तथा किए गए व्यय का ब्यौरा अतिरिक्त उपायुक्त, जो मुख्य योजना अधिकारी है, के पास अथवा जिला योजना अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भांति अन्य जिला अधिकारियों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं था।

विभिन्न स्कीमों के लिए पृथक बैंक खातों के अनुरक्षणार्थ समान तंत्र का अभाव पाया गया। कार्यान्वयन एजेंसियों को केवल निधियां जारी करने पर ही प्राप्ति, प्रयुक्ति तथा दिकासात्मक निधियों का लेखांकन किया गया है न कि

उनकी वास्तविक प्रयुक्ति के पश्चात्, अतः इन स्कीमों की प्रतिवेदित प्रगति व उपलब्धि, जिसमें समग्र विकासार्थ योजना प्रक्रिया के टेढ़े-मेढ़े रूप में परिणामों को दर्शाया गया है, जो वास्तविक स्थिति एवं परिणाम को प्रतिबिम्बित नहीं करती।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त निधियों की बड़ी राशि वन भूमि प्रयुक्ति हेतु अनापत्ति की अनुपलब्धता तथा अन्य भूमि झगड़ों के कारण कार्य न होने से निर्धारित समयसीमा के भीतर उन्हें प्रयुक्त किए बिना बैंकों में रखा हुआ है।

सिफारिशें:

सामान्यतः वित्तीय प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता है तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों हेतु मुहैया निधियों को दक्षता एवं प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने की जरूरत है।

कार्यान्वियन एजेंसियों को निधियों को जारी करने मात्र से पृथक रूप में विभिन्न विकासात्मक स्कीमों से सम्बंधित निधियों की वास्तविक प्रयुक्ति दर्शाने हेतु समान लेखांकन तंत्र होना चाहिए। आरम्भिक एवं उपक्रमात्मक सभी कार्य पूर्ण किए जाने पर ही निर्माण कार्यों हेतु निधियां जारी करने की सुनिश्चितता की प्रक्रिया का विकसित किया जाना भी आवश्यक है।

समाजिक सेवाएं

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अनुबंध के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा आवश्यकताओं तथा अवसंरचना, उपकरण, जनशक्ति, आदि में रिक्तियों के निर्धारण की प्रक्रिया अभी भी ज़िले में पूर्ण की जानी है। जिले में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 145 उप केन्द्र थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से कम थी। स्वास्थ्य केन्द्रों में मुहैया की जाने वाली अपेक्षित मूल स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं लेखापरीक्षा दल द्वारा निरीक्षण किए गए बहुत से केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कुशल जनशक्ति की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के कारण जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने का उदेश्य प्राप्त नहीं हुआ।

जिले में वैक्सीन निरोध्य प्रचलित बीमारियां नगण्य थीं क्योंकि वर्ष 2005-09 के दौरान प्रसवपूर्व टेटनस, डिफथेरिया, टेटनस तथा वूपिंग खांसी की भांति शिशु एवं बच्चों की बिमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, वर्ष 2005-09 के दौरान खसरे के 220 मामले सामने आए। जिले में 2005-09 के दौरान पोलियो का नया मामला देखने में नहीं आया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में मार्च 2009 तक जांचे गए 2,845 व्यक्तियों में से 39 में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अपेक्षा के बावजूद ज़िलों हेतु पृथक लक्ष्यों/स्वास्थ्य सूचकों का निर्धारण नहीं किया गया। इसलिए जिले हेतु संकटकालीन स्वास्थ्य सूचकों की उपलब्धि की प्रगति का पता नहीं लगाया जा सका और राज्य स्तर पर सूचित ब्यौरे की प्रमाणिकता भी सत्यापित नहीं की जा सकी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई। जिले में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन नहीं किया गया। यद्यपि जिले में सभी समुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियां गठित की गई हैं किन्तु ये पूर्णत: प्रचालनीय नहीं हैं।

स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना में रिक्तियों की पहचान तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित सुविधाओं व कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता से अतंर्ग्रस्त उपयुक्त योजना के अभाव में लोगों को जिले में सुगम्य और पहुंच योग्य स्वास्थ्य रक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

सिफारिशें:

जिला स्वास्थ्य संस्था को स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना तथा सुविधाओं में रिक्तियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण करवाने में अधिक पूर्वसक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के ग्रामीण निर्धन एवं असुरक्षित वर्गों को सुगम्य व पहुंच योग्य स्वास्थ्य रक्षा मुहैया करवाने को विशिष्ट समयसीमा बनानी चाहिए। कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त व कुशल जनशक्ति होनी चाहिए।

शिक्षा

जिले में शिक्षा की कार्यस्थिति, विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में, की गई समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2004-09 के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों (viii कक्षा तक) की संख्या में वृद्धि हुई किन्तु इन स्कूलों में लक्षित 6-14 वर्षों के आयु समूह में बच्चों के पंजीकरण में कमी आई।

ज़िले में उच्च शिक्षा 61 राजकीय उच्च विद्यालयों, 79 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, एक सनातकोत्तर महाविद्यालय, चार महाविद्यालयों और एक संस्कृत महाविद्यालय में नेटवर्क के माध्यम से दी जा रही है।

जिले में कक्षा IX से XII का पंजीकरण 2005-06 में 23,237 से गिरकर 2008-09 में 20,436 रह गया। वर्ष 2005-08 की तुलना में 2008-09 में कक्षा XII की उतीर्ण प्रतिशतता गिरती प्रवृत्ति दर्शाती है।

जिले में 140 उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी पाई गई क्योंकि 5 विद्यालयों में पक्के भवन नहीं है, 9 विद्यालय बिना बिजली कनेक्शन के चलाए जा रहे हैं, 43 विद्यालयों में विज्ञान विषयों हेतु पृथक प्रोगशालाएं नहीं हैं, 104 विद्यालयों में लड़के व लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं हैं, 7 विद्यालयों में सुरक्षित पेय जल सुविधाओं का अभाव है तथा 18 के विस्तृत क्रीड़ास्थल नहीं हैं।

छात्रवृत्ति स्कीमें लाभार्थियों के डॉटाबेस के रूप में प्रभावपूर्वक नहीं चलाई गई तथा सम्मिलित किए जाने वाले वास्तविक विद्यार्थियों की पहचान हेतु आवधिक अद्यतनता और उद्देश्यार्थ निधियों की आवश्यकता का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। इससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं मिला अथवा विलम्ब से मिला।

स्कूलों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाना था; तथापि, शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा अधीकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा वर्ष 2004-09 के दौरान जिले में स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया गया।

संक्षेप में, जिले में बहुत से स्कूलों में बुनियादी अवसंरचना/सुविधाओं का अभाव था तथा छात्रवृत्ति स्कीमें सम्मिलित किए जाने वाले वास्तविक विद्यार्थियों के डाटाबेस रूप में प्रभावपूर्वक नहीं चलाई गई और निधियों की आवश्यकता के निर्धारणार्थ इसकी आवधिक अद्यतनता का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिससे पात्र विद्यार्थियों

को छात्रवृत्तियों के लाभ नहीं मिले अथवा विलम्ब हुआ। अध्यापकों की कमी ने बोर्ड के परिणामों को प्रभावित किया जो संतोषजनक नहीं थे।

सिफारिशें:

अध्यापन एवं अध्ययनार्थ उपयुक्त पर्यावरण की सुनिश्चितता हेतु सभी स्कूलों, विशेषकर आरम्भिक स्तर पर, के सम्बंध में मूलभूत अवसंरचना/सुविधाओं को प्राथमिकता के रूप में मुहैया करवाना चाहिए। स्कूलों में पंजीकरण की गिरती प्रवृत्ति को रोकने हेतु शिक्षा विभाग को उपयुक्त पग उठाने चाहिए।

राज्य सरकार को सर्वेक्षण तथा विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों का डॉटाबेस सृजित करवाना चाहिए। यह डॉटाबेस वार्षिक आधार पर अद्यतन करवाना चाहिए और सभी पात्र विद्यार्थियों को मानकों के अनुसार समयबद्ध ढंग से छात्रवृत्ति मुहैया करवानी चाहिए।

पेय जल

जिले में 4,312 निवासों में से 45 प्रतिशत निवास पेयजल सुविधा से पूर्णतः, 30 प्रतिशत आंशिक तथा शेष आवृत्त किए जाने थे।

विभागीय स्तर पर तथा अपेक्षित आवृत्ति के पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव में न केवल समय पर स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब हुआ अपितु कार्यों की गुणवत्ता के विषय में शंकाएं भी उठ पड़ी। इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थी पर्याप्त एवं सुरक्षित पेय जल से वंचित रहे।

जिले में लोगों को असुरक्षित पानी की आपूर्ति की जा रही थी क्योंकि निवासियों को अपेक्षित पानी के नमूनों की जांच करवाकर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप जिले में जल-जनित रोगों के मामलों की पर्याप्त संख्या देखने में आई।

सिफारिशें:

राज्य सरकार/जिला प्रशासन को समयबद्ध ढंग में अनावृत्त निवासियों को पेय जल मुहैया करवाने को युद्धनीतिक कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है।

लोगों को सुरक्षित पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने को पानी गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली का सुधार/उन्नयन करना चाहिए।

आर्थिक सेवाएं

अवसंरचना-परिवहन एवं सड़क सम्पर्क

जिले में हवाई अड्डे तथा रेल का सम्पर्क नहीं है। निकटस्थ हवाई अड्डा चण्डीगढ़ नाहन नगर से 90 किलोमीटर दूर है। अम्बाला छावनी (हरियाणा) निकट का रेलवे स्टेशन है जो नाहन नगर से 65 किलोमीटर है। जिले के कुल 971 गांवों में से केवल 680 गांवों को मार्च 2009 तक सड़क से जोड़ा गया है। अतः सिरमौर जिले के 30 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है; वन/निजी भूमि का अधिग्रहण मुख्य बाधा बनी हुई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2004-09 के दौरान शुरू किए गए 103 कार्यों में से केवल 37 कार्य (36 प्रतिशत) निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किए गए, 21 कार्य प्रगति पर थे तथा शेष 45 कार्य मार्च 2009 तक अपूर्ण पड़े हुए थे।

अतः समय पर सड़क कार्यों की पूर्णता हेतु भूमि झगड़ों को सुलझाने के व्यवहार्य तंत्र के अभाव में लोक निर्माण विभाग ने जिले में सभी गांवों को सड़क से जोड़ने में विलम्ब किया।

अन्य विकासात्मक स्कीमें

विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, आदि जैसी अन्य विकासात्मक स्कीमों को जिले में समन्वय के बिना शुरू किया गया क्योंकि कार्यों की न तो उपयुक्त रूप से योजना बनाई गई न ही विशिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण किया गया। इन स्कीमों से सृजित परिसम्पत्तियों से भी जिला प्रशासन अनभिज्ञ रहा क्योंकि परिसम्पत्तियों की पंजिका का किसी स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया गया था।

सिफारिशः

राज्य/ज़िला प्रशसन को कार्यकारी एजेंसियों के साथ व्यापक समन्वय बनाना होगा जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों की योजना बनाई गई है, कार्य शुरू किया गया है तथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया है और इस सम्बध में विलम्ब व चूकों हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

रोजगार सृजन

राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार मांगने वाले कार्ड धारकों को 100 दिनों के रोजगार मुहैया करवाने की कानूनी गारंटी में गिरावट 94 व 98 प्रतिशत के मध्य रही। उन पात्र कार्ड धारकों को, जिन्हें रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया, बेरोजगार भत्ता नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, महिला लाभार्थियों को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं दिए गए जैसाकि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

अतः जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी मुहैया करवाने में ज़िला अधिकारियों की विफलता से जरूरतमंद एवं असुरक्षित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आजीविका की गारंटी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ; इन स्कीमों के माध्यम से गरीबी कम करने की सीमा संदिग्ध रही।

ऊर्जा

जिले के 971 गांवों में से 965 गांवों (99 प्रतिशत) को मार्च 2009 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से शेष गांवों के विद्युतीकरण की भी योजनाएं बनाई है।

विद्युतीकृत बिना परिवारों के विद्युतीकरण हेतु मार्च 2005 से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संस्वीकृति में चार वर्षों से अधिक के विलम्ब के कारण 19.93 करोड़ रू0 की लागत वृद्धि के अतिरिक्त सिरमौर ज़िला के 3805 पात्र परिवार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लाभों से वंचित रहे।

सिफारिशः

राज्य सरकार को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को मुख्यधारा में यह सुनिश्चित करने को जोड़ना चाहिए कि परियोजना प्रस्तावों को समय पर बनाया गया तथा भारत सरकार के साथ मामला उठाकर निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर सभी बिना विद्युतीकृत निवासियों/गांवों के विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त निधियां जुटाने को सुनिश्चित किया जाए।

सामान्य सेवाएं

इ-गवर्नेंस-सुगम केन्द्र

इ-गवर्नेंस कार्यकलापों के सम्बन्ध में तहसील से जिला स्तर पर परिकल्पित 33 से 37 सेवाओं के प्रति जुलाई 2009 तक केवल 2 से 5 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही थीं। सके अतिरिक्त, सुगम के माध्यम से परिकल्पित सेवाओं को देने के साथ एक छत के नीचे सभी सेवाओं को मुहैया करवाने के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए।

नगर पालिका प्रशासन द्वारा नागरिक सुविधाएं

नगर परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन के कचरा परिवहन हेतु खुले वाहनों के प्रयोग के अंतर्निहित दोषों और ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त कार्यस्थलों को विकसित न करने का लक्षण-वर्णन किया गया। नगरपालिका समितियों तथा नगर पंचायतों के पास नगरपालिका ठोस कचरे के जिले में एकत्रीकरण, भण्डारण, पृथकीकरण, परिवहन, संसाधन तथा निपटान हेतु एकीकृत कचरा प्रबन्धन योजना नहीं है जिससे लोगों को असंसाधित कचने व प्रदूषण के खतरों से बचाया जा सके।

सिफारिश:

प्रदूषण मुक्त पर्यावरणार्थ नगर पालिकाओं द्वारा कचरा प्रबन्धन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।

अनुश्रवण तंत्र एवं मूल्यांकन प्रभाव

सारांश में, जिले में स्थानीय प्रशासन के सभी अंगो पर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति अनुश्रवण व पर्यवेक्षण उत्साहहीन था जिसने विभिन्न विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों तथा परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित किया। समाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में बहुत से कार्य थे जो लागत व समय बढ़ने से अवरूद्ध हो गए जिससे इन विकासात्मक स्कीमों के लाभों से लोगों को वंचित रहना पड़ा।

सिफारिश:

कार्यक्रम समय पर तथा लागत के भीतर निष्पादित किए गए हैं और चूकों के मामलों में समय पर सही कार्रवाई की गई-यह सुनिश्चित करने को स्थानीय प्रशासन के सभी अंगों पर अनुश्रवण, निरीक्षण व पर्यवेक्षण सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व सौंपने, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आदि जैसी मुख्य सेवाओं को मुहैया करवाने में दक्षता व प्रभावकता की सुनिश्चितता बनाने पर बल देती आ रही है। तथापि, लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि योजना प्रक्रिया में खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तरों से लोगों की पर्याप्त सहभागिता के अभाव में जिले की योजनाबद्ध प्रगति बाधित हुई जबकि पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु विशिष्ट योजनाएं बनाने को सक्षम हैं किन्तु इन स्तरों से आधारभूत वार्षिक योजना के अभाव तथा भवनों की क्षमता के बिना विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयनार्थ मुहैया निधियां खर्च करने में अपनी असमर्थता बताई।

कार्यक्रमों एवं स्कीमों की विविधता है और अधिक संख्या में कार्यान्वयन एजेंसियां तक ज़िला प्रशासन हेतु विकासात्मक कार्यकलापों के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण को कठिन बना रही हैं। अधिकांशतः सभी विकासात्मक कार्याक्रम लाभार्थियों के एक ही मंच पर लक्षित हैं, असंख्य कार्यक्रमों के एकीकृत केन्द्र बिन्दु केबिना विद्यमानता के कारण उन्हें पृथक-पृथक कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीमों के निष्पादन के सम्बंध में पर्याप्त अनुश्रवण तंत्र या तो प्रतिस्थापित नहीं किया गया अथवा कार्य नहीं कर रहा जैसाकि परिकल्पित किया गया था।

राज्य सरकार को सभी स्थानीय प्रशासन के अंगों तथा अधिकांश लोगों से निवेशों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार सृजन, पेय जल, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अवसंरचना में रिक्तियों के आकलन द्वारा संतुलित जिला केन्द्रस्थ योजना संसाधन को अपनाए जाने की आवश्यकता है। ज़िले के विकासार्थ ऐसी योजनाओं के माध्यम से रखे गय लक्ष्यों की प्राप्ति को स्पष्ट मार्ग दर्शक बनाया जाना चाहिए ताकि स्कीम के लाभ इच्छित लाभार्थियों को समय पर पहुंच सकें। राज्य द्वारा ज़िले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के विकास तथा प्रभावकता की सीमा मापने को जिला विशिष्ट विकास सूचकों को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। ज़िले के स्थिर विकास को सुनिश्चित करने हेतु लोगों की सहभागिता आवश्यक है।

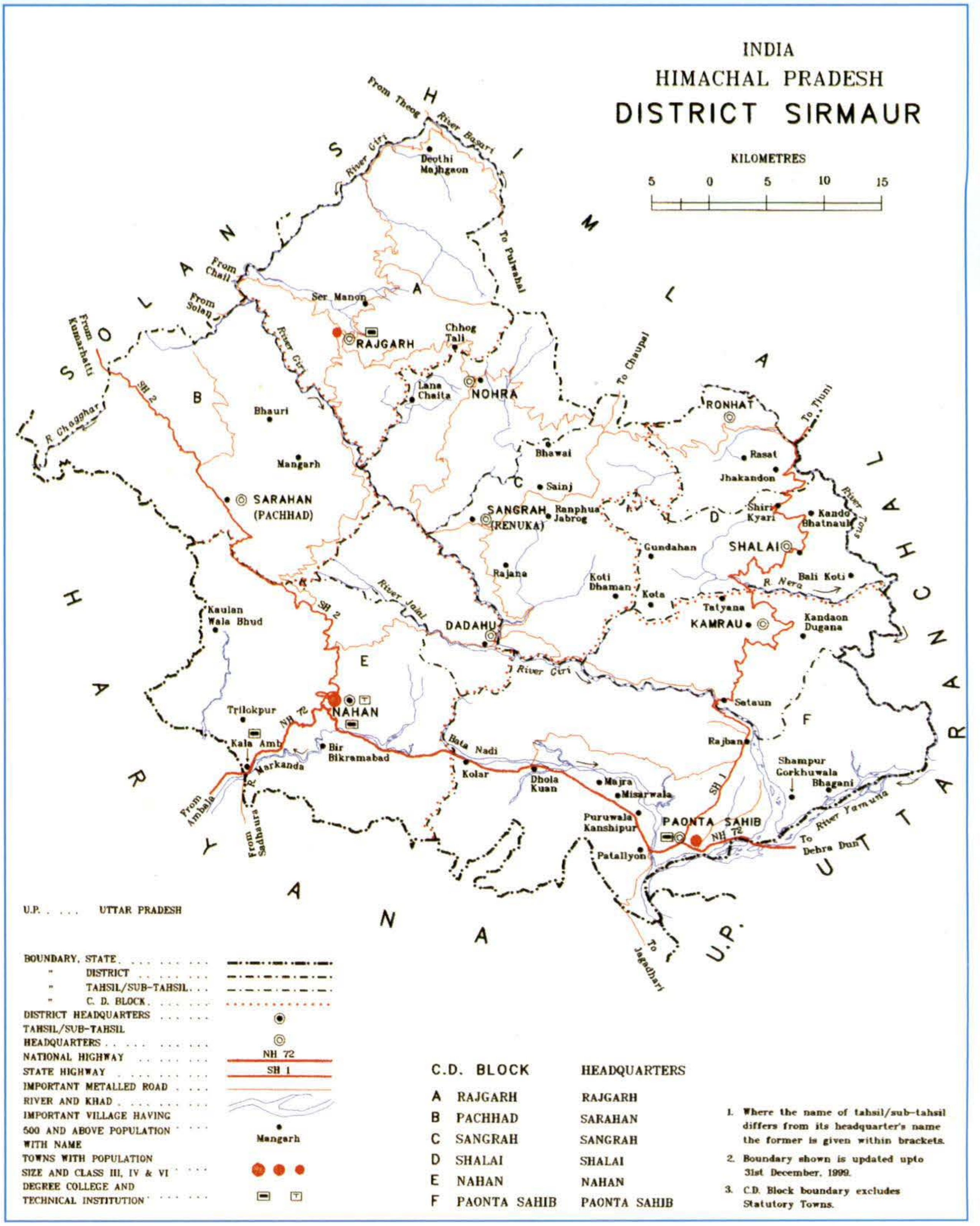
INDIA
HIMACHAL PRADESH
DISTRICT SIRMAUR
KILOMETRES
5 0 5 10 15
SOLAN
SHIMLA
HARYANA
UTTARANCHAL
U.P.
RAJGARH
NOHRA
RONHAT
SARAHAN (PACHHAD)
SANGRAH (RENUKA)
SHALAI
KAMRAU
DADAHU
NAHAN
PAONTA SAHIB
Deothi Majhgaon
Ser Manon
Chhog Tali
Lana Chaita
Bhauri
Mangarh
Bhawai
Sainj
Ranphua Jabrog
Rajana
Koti Dhaman
Kota
Gundahan
Rasat
Jhakandon
Shiri Kyari
Kando Bhatnauli
Bali Koti
Tatyana
Kandaon Dugana
Kaulan Wala Bhud
Trilokpur
Kala Amb
Bir Bikramabad
Kolar
Dhola Kuan
Majra
Misarwala
Puruwala Kanshipur
Patallyon
Rajban
Sataun
Shampur Gorkhuwala
Bhagani
River Giri
River Jalal
River Bata Nadi
R. Markanda
River Yamuna
River Tons
R. Nera
R. Chagghar
River Basari
From Theog
To Pulwahal
To Chaupal
To Tiuni
From Chail
From Solan
From Kumarhatti
From Ambala
From Sadhaura
To Jagadhari
To Debra Dun
NH 72
SH 1
SH 2
U.P. . . . . UTTAR PRADESH
BOUNDARY, STATE
" DISTRICT
" TAHSIL/SUB-TAHSIL
" C. D. BLOCK
DISTRICT HEADQUARTERS
TAHSIL/SUB-TAHSIL HEADQUARTERS
NATIONAL HIGHWAY
STATE HIGHWAY
IMPORTANT METALLED ROAD
RIVER AND KHAD
IMPORTANT VILLAGE HAVING 500 AND ABOVE POPULATION WITH NAME
TOWNS WITH POPULATION SIZE AND CLASS III, IV & VI
DEGREE COLLEGE AND TECHNICAL INSTITUTION
C.D. BLOCK HEADQUARTERS
A RAJGARH RAJGARH
B PACHHAD SARAHAN
C SANGRAH SANGRAH
D SHALAI SHALAI
E NAHAN NAHAN
F PAONTA SAHIB PAONTA SAHIB
1. Where the name of tahsil/sub-tahsil differs from its headquarter's name the former is given within brackets.
2. Boundary shown is updated upto 31st December, 1999.
3. C.D. Block boundary excludes Statutory Towns.

पहला अध्याय : परिचय

जिले की सामान्य रूपरेखा

जिला सिरमौर के उत्तर में शिमला जिला, उत्तर-पश्चिम में सोलन जिला तथा पूर्व में उत्तराखण्ड व दक्षिण में हरियाणा राज्य हैं। यह जिला 2,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा नाहन में मुख्यालय है। राज्य की जनसंख्या (60.78 लाख) की गणना के हिसाब से जिले की जनसंख्या का 4.59 लाख (आठ-प्रतिशत) है, उनमें से 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। जिले के तीन उप-मण्डल तथा 10 तहसील व उप-तहसील हैं। ग्रामीण विकास के प्रबन्ध को जिला 966 निवासी तथा पांच गैर-निवासी गांवों सहित 228 ग्राम पंचायतों को आवृत करता हुआ छः सामुदायिक विकास खण्डों में विभाजित है। साक्षरता दर राज्य स्तर की 77 प्रतिशत के प्रति 71 प्रतिशत है किन्तु राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत से उच्च है। जिले के 70,439 परिवारों में से राज्य स्तर के 24 प्रतिशत की तुलना में 19 प्रतिशत (13,695 परिवार) गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

प्रशासकीय ढ़ांचा

- जिला स्तर पर जिले के विकाससार्थ स्कीमों की शेल्फ के अनुमोदन हेतु जिला योजना एवं विकास समिति शीर्ष निकाय है। उपायुक्त जिले का प्रभारी है तथा जिले में सभी विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है। वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायती राज संस्थाओं, फील्ड अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है।

  उपायुक्त की सहायता के लिए अतिरिक्त उपायुक्त होता है जो स्कीमों को बनाने व प्राथमिकीकरण और उनके अनुश्रवण तथा समीक्षा हेतु मुख्य योजना अधिकारी होता है। अतिरिक्त उपायुक्त की सहायता हेतु जिला योजना अधिकारी व क्रेडिट योजना अधिकारी होता है जो स्कीमों के लेखाओं का अनुरक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा करता है।

- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण**

जिला स्तर पर मुख्य अंग है जो विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखता है। यह कार्यक्रमों की योजना सफलतापूर्वक कार्यक्रम कार्यन्वयन हेतु अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, तकनीकी तथा वित्तीय अभिकरणों सहित समन्वय; निर्णायक प्रक्रियाओं में समुदाय व निर्धन ग्रामीण को भाग लेने योग्य बनाने, दिशा-निर्देशों का पालन, गुणवत्ता, निष्पक्षता व दक्षता की सुनिश्चितता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन को देखने और निर्धारित अंतरालों पर सम्बंधित अधिकारियों को प्रतिवेदित करने का उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, आदि से सम्बंधित विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है।

जिला परिषद् अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है तथा उपायुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जैसाकि ऊपर वर्णित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परियोजना निदेशक तथा परियोजना अधिकारी पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास

अभिकरण का कार्यकारी प्रभारी है तथा भारत सरकार के साथ-साथ जिला/राज्य प्रशासन के साथ पारस्परिक क्रिया हेतु उत्तरदायी है। वह (पुरूष/महिला) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचित करता है तथा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला परिषद् के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। परियोजना निदेशक सभी खण्ड विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी भी है।

जिला का प्रशासकीय गठन निम्नवत् है:

Chart-1

दूसरा अध्याय : लेखापरीक्षा ढांचा

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

सिरमौर ज़िले की लेखापरीक्षा में वर्ष 2004-09 की अवधि के दौरान ज़िले में कार्यान्वित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा अंतर्ग्रस्त है। लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बंधित समाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की कार्यस्थिति सम्मिलित की है। आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना विकास की समीक्षा जिले में सड़क सम्पर्क के सुधार, समाज के गरीब एवं असुरक्षित वर्गों को रोजगार देने के प्रावधान हेतु कार्यान्वित परियोजनाओं तथा स्कीमों के निर्धारण के माध्यम से की जाती है। इस लेखापरीक्षा में जिले में विकासात्मक उपक्रमण एवं संयुक्त व्यय, जो केन्द्रीय अथवा राज्य निधियों से हो और जिले की आवश्यक जनसुविधाएं मुहैया कराने और लोगों के सामान्य जीवन स्तर को सुधारने व कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण में समुदाय भागीदारी की सीमा हेतु जिला प्रशासन के कार्य एवं उत्तरदायित्व पर केन्द्रित हो को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार के सिंगल विंडों 'सुगम' केन्द्रों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक द्वारा विभिन्न उपयोगिताओं एवं सेवाओं हेतु जन अनुरोधों की प्रक्रिया सरल करने में उपक्रमणों की नगर प्राधिकारियों द्वारा मूल नागरिक सुख-सुविधाओं के प्रावधान की स्थिति सहित समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा राज्य योजना विभाग, कार्यालय उपायुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चयनित खण्डों और ग्राम पंचायतों में अभिलेखों की संवीक्षा पर आधारित थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नवत् थे:

- विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वार्षिक योजना प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं कार्य साधकता का निर्धारण;
- लक्षित प्राप्ति एवं परिणामों तथा उनके आर्थिक व दक्ष निष्पादन की प्राप्ति के अनुसार विकासात्मक कार्यक्रमों का समग्र प्रभाव और कार्य साधकता का निर्धारण;
- श्रेणीबद्ध ढंग से (राज्य से जिला, जिला से खण्ड एवं खण्ड से ग्राम पंचायत) निम्न स्तर पर विस्तरित व्यय विवरणीय और मूल वाऊचरों के सन्दर्भ में मुख्य विकास कार्यक्रमों (केन्द्रीय एवं राज्य) पर प्रतिवेदित व्यय का सत्यापन;
- निधियों की प्राप्ति उपयोगिता एवं लेखांकन हेतु प्रक्रियाओं की उपयुक्तता तथा कार्यसाधकता का निर्धारण; और
- अनुश्रवण, प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन हेतु प्रक्रियाओं की उपयुक्तता तथा कार्यसाधकता का निर्धारण।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन निर्धारणार्थ अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड थे:

- वार्षिक कार्य योजनाएं
- सम्बद्ध कार्यक्रमों/स्कीमों के दिशा-निर्देश
- निर्धारित अनुश्रवण तंत्र

लेखापरीक्षा पद्धति

जून 2009 में सम्मेलन आरम्भ में उपायुक्त, प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), प्रधान सचिव (शिक्षा), ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के साथ-साथ पणधारियों के साथ चर्चाएं की गई।

तीन खण्डों अर्थात् नाहन, पच्छाद तथा संगड़ाह को जिला मुख्यालय से उनकी दूरस्थता के आधार पर विस्तृत संवीक्षा हेतु चयनित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापन विधि बिना सामान्य मादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर इन खण्डो में 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और इन ग्राम पंचायतों में 20 प्रतिशत गांवों को भी व्यापक लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता, जिला स्वास्थ्य मिशन, वन मण्डलीय अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, दो नगर समितियों (नाहन व पांवटा), नगर पंचायत, राजगढ़ तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा भी की गई।

लेखापरीक्षा परिणामों की अक्तूबर 2009 में हुए समापन सम्मेलन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई और उनके विचारों को प्रतिवेदन में अध्याय 3 से 8 में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया।

तीसरा अध्याय: योजना

जिला नीति एवं योजना

भारत सरकार ने जिलों के विकासार्थ समाहित व सहभागिता योजना प्रक्रिया पर विचार किया। 74 वें संविधान संशोधन में ज़िले में पंचायतों व नगर समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं को एकीकृत जिला योजना में समेकित करने हेतु ज़िला योजना समिति की स्थापना का आदेश हुआ। स्थानीय प्रशासन की सभी तीन अंगों अर्थात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खण्डों तथा ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित उनकी निधियों के लगभग 125 प्रतिशत भाग के मूल्य के बराबर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में वार्षिक कार्य योजना बनानी थी और ऐसा कोई कार्य नहीं करना था जो वार्षिक कार्य योजना का भाग न हो।

अगस्त 2003 में सिरमौर जिले हेतु जिला योजना विकास एवं बीस सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष जिले का मंत्री तथा सांसद, विधायक, जिला परिषद् अध्यक्ष और अन्य सत्ता दल के जिला दल कार्यकर्ता सदस्य थे। उपायुक्त तथा अन्य जिला स्तर कार्यालयों के प्रमुख और लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता व जिले का अरण्यपाल अन्य सदस्य थे। जिला योजना विकास एवं

नीति एवं योजना परिषद् के रूप में कार्य करना तथा जिले में निष्पादित किए जाने वाले विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखना था। इसने ज़िले में निष्पादित किए जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं की शेल्फ को अनुमोदित करना था और प्रशासकीय एवं तकनीकी कर्मियों को निदेश देने थे। इसकी वर्ष में तीन बार इस उद्देश्यार्थ बैठकें होनी थी और स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण करना था।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिला योजना विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने ज़िले के समग्र विकासार्थ कोई संदर्श योजना अथवा वार्षिक कार्य योजनाएं या स्कीमों की शेल्फ तक नहीं बनाई। खण्डों तथा ग्राम पंचायतों जैसा स्थानीय स्तर का प्रशासन योजना प्रक्रिया के किन्हीं निवेशों को जुटाने में सम्मिलित नहीं हुआ। स्कीमों को स्थानीय लोगों को आकलित हित के अनुसार सांसदों/विधायकों/अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उपायुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर संस्वीकृत किया गया। वर्ष 2004-09 के दौरान अपेक्षित 15 बैठकों के प्रति जिला योजना विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने केवल पांच बैठकें की। वस्तुतः, एकीकृत जिला योजना नहीं थी।

खण्डों तथा ग्राम पंचायतों से निवेशों सहित जिले के विकास हेतु संदर्श योजनाओं तथा एकीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं के अभाव में विभिन्न विकासात्मक स्कीमों/कार्यक्रमों की रिक्ति की पहचान नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों की ज्वलंत आवश्यकताओं तथा जिले के भीतर विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों के मध्य असमानताओं का समाधान नहीं किया जा सका।

सिफारिश

वास्तविक परिप्रेक्ष्य तथा एकीकृत वार्षिक योजनाओं को ज़िले के अधिक यर्थात निर्धारण हेतु खण्डों और ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से निवेशों को प्राप्त करके संरचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित जिले हेतु तैयार किया जाना चाहिए।

चौथा अध्याय: वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखांकन ढांचा

निधियों को विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों हेतु राज्य बजट के माध्यम से आबंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निधियों को सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा राज्य व भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पृथक स्कीमों हेतु अनुमोदित आबंटन के आधार पर निधियों को खण्डों और अन्य निष्पादन एजेंसियों को जारी करता है।

➢ निधियों के आधिक्य एवं किए गए व्यय में रिक्तियां

वर्ष 2004-09 के दौरान ज़िले में निधियों की कुल अधिकता और किया गया व्यय अतिरिक्त उपायुक्त, जो मुख्य योजना अधिकारी है अथवा जिला योजना अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भांति अन्य जिला अधिकारियों में किसी के पास उपलब्ध नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न विभागों से एकत्रित कुछ महत्वपूर्ण विभागों व कार्यक्रमों के सम्बंध में प्राप्त निधियों और सूचित व्यय की सूचना निम्नवत् है।

तालिका: 1

(करोड़ रूपये)

स्कीम	उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	7.37	2.03
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	0.44	0.44
सर्वशिक्षा अभियान	47.54	38.63
उच्च शिक्षा	114.81	129.32
जलापूर्ति	83.21	83.63
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	146.30	38.93
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना	0.66	0.11
विकास में जन सहयोग	4.21	1.27
क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना	9.35	0.86
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	2.98	2.06
विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना	6.25	1.31
सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना	7.97	6.72
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	47.05	43.98
ई-गवर्नेंस	0.05	--
नगर परिषदें एवं नगर पंचायतें	28.40	23.77
जोड़	**506.59**	**373.06**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्‌घाटित हुआ कि प्राप्त निधियों और किए गए व्यय के मध्य भारी अंतर था क्योंकि भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त निधियों की भारी राशियां निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रयुक्त किए बिना बैंकों में रखी हुई हैं क्योंकि वन भूमि प्रयुक्ति हेतु अनापत्ति अनुपलब्धता तथा अन्य भूमि झगड़ों (जैसाकि आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई हैं) के कारण कार्यों की प्रगति नहीं हो सकी।

➢ बैंक खातों को खोलना

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा खण्ड स्तरों पर विभिन्न स्कीमों हेतु पृथक बैंक खाते हैं जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी स्कीमों हेतु केवल एक बैंक खाता था जिसमें सभी कार्यक्रमों से सम्बंधित निधियों

को जमा व संचालित किया जाता है भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में यथा परिकल्पित सभी स्कीमों के लिए पृथक बैंक खाते का अनुरक्षण न करने के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर स्कीम अनुसार सूचना उपलबध नहीं थी।

सम्मेलन समापन में उपायुक्त ने बताया (अक्तूबर 2009) कि खण्ड विकास अधिकारियों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित राशि से सम्बंधित स्थिति की समीक्षा योजना प्रगति पर है और निधियों के संचयन के कारणों की जांच की जाएगी तथा जनता के हितार्थ स्कीमों/कार्यक्रमों पर निधियों की प्रयुक्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। इससे विदित होता है कि केवल उन्हीं कार्यों हेतु निधियां जारी की गई जिनके सभी आरम्भिक एवं उपक्रमात्मक कार्यों को पूर्ण कर लिया गया, यह सुनिश्चित करने को पर्याप्त तंत्र का अभाव था।

➢ अभिलेखों का अनुरक्षण

उपायुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा नमूना जांच किए गए खण्डों व ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्‌घाटित हुआ कि निधियों को ज्यों ही अगले स्तर को जारी किया गया वैसे ही खर्च किया गया दर्शाया गया है अर्थात जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने निधियों को खण्डों को जारी करते तथा खण्डों ने ग्राम पंचायतों को जारी करते ही प्रयुक्त किया गया दर्शाया है।

➢ आंतरिक नियंत्रण

खण्ड विकास अधिकारी कार्यों की संस्वीकृति बारे सम्बंधित पंचायत सचिवों को अवगत करवाने को मासिक बैठकें करता है तथा प्रारम्भिक कार्य हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पास प्रस्ताव के आधार पर पहली किस्त जारी करता है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्‌घाटित हुआ कि खण्ड विकास अधिकारियों का यह देखने के लिए नियंत्रण नहीं था कि ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव बिना विलम्ब के प्राप्त हुए हैं तथा कार्यों को समयबद्ध ढंग से निष्पादित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निधियों की बड़ी राशि दीर्घावधियों हेतु अप्रयुक्त रहीं।

संक्षेप में, विकासात्मक निधियों की प्राप्ति, प्रयुक्ति तथा लेखांकन की आंतरिक जांच व नियंत्रण के एकीकृत तंत्र के अभाव में भारी राशियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं और जारी निधियों व प्रयुक्ति दर्शाई गई निधियों के मध्य भी बड़ी रिक्ति थी।

सिफारिशें

➢ *ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जो सुनिश्चित कर सके कि निधियां उन्हीं कार्यों व स्कीमों के लिए जारी की गई हैं जिनके सभी आरम्भिक एवं उपक्रमात्मक कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है।*

➢ *निधियों की प्राप्ति, प्रयुक्ति तथा लेखांकन हेतु एकरूपता का तंत्र होना चाहिए तथा जारी निधियों से पृथक रूप में निधियों की वास्तविक प्रयुक्ति दर्शाने हेतु तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।*

पांचवां अध्याय: सामाजिक सेवाएं

सामाजिक क्षेत्र में फलैगशिप कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा जैसेकि:

- सर्व शिक्षा अभियान,
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जलापूर्ति कार्यक्रम तथा
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

जैसे समाजिक क्षेत्र में फॅलैगशीप कार्यक्रमों की कार्यन्वयन की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले के लोगों को उत्कर्ष स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पानी तथा बुनियादी सुख-सुविधाएं मुहैया करवाने के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अवसंरचना की पूर्ण प्रयुक्ति को इन क्षेत्रों में पर्याप्त एवं कुशल जनशक्ति जुटाने की आवश्यकता है, जैसाकि चर्चा किए गए निम्न लेखापरीक्षा परिणामों से स्पष्ट है।

5.1 स्वास्थ्य

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन पांच अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं मुहैया करवाने हेतु उत्तरदायी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 145 उप केन्द्रों के माध्यम से मुहैया करवाई जाती हैं।

i) योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्य, पहुंचयोग्य तथा उचित स्वास्थ्य रक्षा के प्रावधान के प्रति प्रथम चरण के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं में रिक्ति की पहचान हेतु घरेलू सुविधाओं का सर्वेक्षण करवाया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि स्वास्थ्य रक्षा आवश्यकतों के निर्धारण तथा अवसंरचना, उपकरण, जनशक्ति, इत्यादि में रिक्तियां अभी भी जिला में पूर्ण की जानी थी।

जिला स्वास्थ्य सभा को समस्त मिशन अवधि (2005-12) हेतु तथा जिले के लिए संदर्श योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं जिनमें सरकार के नीचले शासन से निवेश हैं, बनाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि इन योजनाओं को कुटुम्बों तथा निम्न कर्मचारियों से सुख-सुविधा सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया था।

मिशन के कार्यकलापों को अन्य विभागों के कार्यक्रमों तथा गैर-सरकार पणधारियों, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों एवं रोगी कल्याण समितियों की कार्यप्रणाली के साथ एकस्थ किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिला स्वास्थ्य संस्था ने पेय जल, स्वच्छता एवं स्वास्थिकी, पोषण, आदि से सम्बंधित सम्बद्ध विभागात्मक कर्मचारियों से परस्पर क्रियावाद नहीं अथवा निवेशों को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति नहीं बनाई गई। यद्यपि जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों का गठन किया गया है किन्तु नमूना जांच किए गए चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

रोगी कल्याण समितियों का प्रचालनीकरण जुलाई 2009 तक नहीं किया गया। प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने सम्मेलन समापन में कमियों को स्वीकार कर लिया (अक्तूबर 2009) तथा बताया कि वर्ष 2009-10 से ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है।

ii) अवसरंचना

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 80,000 की जनसंख्या हेतु एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3,000 से ऊपर की जन संख्या हेतु एक उप केन्द्र होना चाहिए। इन मानकों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की आवश्यकता क्रमशः 6, 23 तथा 153 बनती है। जिले में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 145 उप केन्द्र थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को छोड़कर अन्य संस्थाओं की संख्या निर्धारित मानकों से कम थी।

इसके अतिरिक्त, इनमें बहुत से केन्द्र प्रचारजनीय नहीं थे क्योंकि इनमें मूल भूत न्यूनतम अवसंरचना का अभाव था, जैसाकि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों[1], चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों[2] और आठ उप केन्द्रों[3] के ब्यौरे से देखा जा सकता है जो निम्नवत् है:

तालिका: 2

क्रमांक	विवरण	बिना सेवा वाले केन्द्र		
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप केन्द्र
1	लेखापरीक्षा किए गए स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या	2	4	8
2	मरीजों के लिए प्रतीक्षा कक्ष	1	4	8
3	प्रसव कक्ष	शून्य	4	8
4	शल्यक्रिया कक्ष	शून्य	4	शून्य
5	परिचार कक्ष	शून्य	4	2
6	आपात्त / आकस्मिक कक्ष	1	3	शून्य
7	स्टाफ हेतु आवासीय सुविधाएं	शून्य	3	6
8	पुरूषों व स्त्रियों के लिए पृथक सुविधा	शून्य	4	8

स्रोत: नमूना जांच किए गए युनिटों द्वारा दिए गए आंकड़े

छायाचित्र: 1

छायाचित्र: 2

जाखना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के टूटे बिस्तर व फर्नीचर

1 राजपुरा तथा शिलाई

2 जाखना, कफोटा, माजरा तथा रोहनाट

3 दुगाना, गुमोती, जमना, झकांडू, पुरूवाला, सैनवाला, सारली व शावगा

फोटोग्राफ: 3

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में शल्यगार

छायाचित्र: 4

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा में खुले में चिकित्सा अपशिष्ट रखने के कारण अस्वास्थ्यकर पर्यावरण

छायाचित्र: 5

जंगली झाड़-फूस से आवृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजपुरा का भवन

स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपरोक्त प्रत्यक्ष अवसंरचना के अभाव में ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा सकी।

➢ मूलभूत स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं

स्वास्थ्य केन्द्रों में मुहैया करवाई जाने वाली अपेक्षित मूलभूत स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं लेखापरीक्षा दल द्वारा देखे गए बहुत से केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं थी। इस सम्बंध में ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका: 3

(संख्या)

विवरण	बिना सेवा वाले केन्द्रों की संख्या		
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप केन्द्र
लेखापरीक्षा किए गए स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या	2	4	8
रक्त संग्रहणार्थ स्वास्थ्य केन्द्र	2	शून्य	शून्य
नवजात शिशु रक्षा केन्द्र	1	4	8
24 X 7 प्रसव	शून्य	4	शून्य
मरीज सेवाएं	शून्य	4	शून्य
एक्स-रे	शून्य	4	शून्य
अल्ट्रा साऊण्ड	2	शून्य	शून्य
ईसीजी	2	शून्य	शून्य
आब्सटेटरिक देखभाल	2	4	शून्य
आपातकालीन सेवाएं	शून्य	4	शून्य

परिवार नियोजन (ट्यूबकटामी व वसेक्टॉमी)	2	शून्य	शून्य
स्त्रीरोग स्थिति के अन्तर्गत परीक्षण	2	4	शून्य
बाल चिकित्सा	2	शून्य	शून्य

स्रोत: नमूना जांच किए गए युनिटों द्वारा दिए गए आंकड़े

जिला स्वास्थ्य संस्था ने वर्ष 2005-09 के दौरान दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (शिलाई व संगड़ाह) तथा तीन अस्पतालों (नाहन, पांवटा व राजगढ़) का दर्ज़ा बढ़ाकर प्रथम परामर्श युनिट करने हेतु 40 लाख रू0 प्रति प्रथम परामर्श युनिट की दर से दो करोड़ रू0 प्राप्त किए। जिला स्वास्थ्य संस्था ने उपकरणों के प्रापण तथा दवाईयों की खरीद हेतु 28.16 लाख रू0 और विकासात्मक अवसंरचनार्थ लोक निर्माण विभाग को 10.18 लाख रू0 जारी जारी किए। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि विशेषज्ञों व अन्य सहायक स्टॉफ की तैनाती के बिना जून 2009 तक पांच युनिटों में से कोई भी प्रथम परामर्श युनिट नहीं बनाया गया।

अत: विभाग पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद इन संस्थाओं में समय पर रैफ़ॅरल सेवाएं सुनिश्चित करने को उपयुक्त स्वास्थ्य अवसंरचना मुहैया करवाने में विफल रहा।

iii) जनशक्ति संसाधन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य भारतीय जन स्वास्थ्य स्तर के मानकों के अनुसार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त कुशल जनशक्ति जुटाना था। नमूना-जांच हेतु चयनित दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और आठ उप केन्द्रों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि भारतीय जन स्वास्थ्य स्तर के मानकों के अनुसार इनमें से कोई केन्द्र पर्याप्त स्टॉफयुक्त नहीं था जिसका ब्यौरा निम्नांकित है:

चार्ट: 2

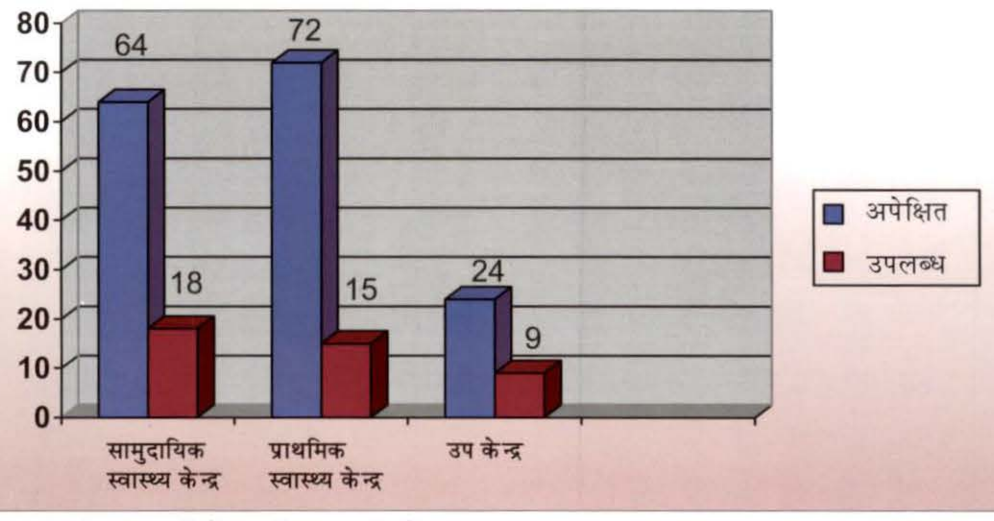

स्रोत: नमूना-जांच किए गए युनिटों द्वारा दिए गए आंकड़े

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि जनशक्ति में कमी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 72 प्रतिशत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों में क्रमश: 79 प्रतिशत और 63 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा विश्लेषण से और निम्नांकित उद्घाटित हुआ:

- नमूना जांच किए गए दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों में 14 स्टॉफ नर्सों की अपेक्षित संख्या के प्रति दो थी और नमूना जांच किए गए चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टॉफ नर्सों की तैनाती ही नहीं की गई।

- नमूना-जांच किए गए चार में से दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जाखना तथा रोहनाट) बिना किसी चिकित्सा अधिकारी के चल रहे थे और सभी चार नमूना-जांच किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई फार्मासिस्ट तथा प्रयोगशाला सहायक नहीं है।
- तीन उपकेन्द्र (गूमोत, जामना और झखांडो) बिना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एक उपकेन्द्र (डुगाना) पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बिना चल रहा था। दो उपकेन्द्र (सरली व शावग) बिना किसी पुरूष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के चल रहे थे। नमूना-जांच किए गए आठ उपकेन्द्रों में से किसी में भी स्वेच्छिक कार्यकर्ता नहीं था।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिले में 10 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टॉफ तैनात नहीं किया गया और इनमें गैर पैरामेडिकल स्टॉफ कार्य कर रहा था।

अत: कुशल जनशक्ति की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के कारण जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा स्टॉफ एवं अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता/कमी के कारण, जैसाकि उपरोक्त परिच्छेदों में वर्णित है, नमूना-जांच किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में रोगियों की संख्या बहुत कम थी और 5 तथा 55 प्रतिशत के मध्य रही जबकि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शून्य प्रतिशत थी।

प्रधान सचिव ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समापन सम्मेलन में बताया (अक्तूबर 2009) कि राज्य सरकार ने स्थान, उपकरण एवं स्टॉफ हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं के युक्तिकरण के लिए अब अपने मानक सोच निकाले है किन्तु अभी प्रकाशित नहीं हुए। उसने यह भी बताया कि यह मानक चालू वर्ष से अपनाए जाएंगे तथा सरकार सभी संस्थाओं में चिकित्सा स्टॉफ/पैरामेडिकल स्टॉफ मुहैया करवाने में सक्षम होगी।

iv) निष्पादन सूचकों के प्रति प्राप्ति

शिशु मृत्यु-दर, मातृक मृत्यु-दर, कुल प्रजनन दर कम करने हेतु विभिन्न स्थानिक बिमारियों की रूग्णता व मृत्यु-दर घटाने तथा उपचार दर वृद्धि के लक्ष्यों के निर्धारण वाले निष्पादन सूचक साधारणत: राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

क) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखाभाल

शिशु मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर घटाने के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2008 तक प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न स्वास्थ्य सूचक निर्धारित किए थे। राज्य सरकार द्वारा मुहैया ब्यौरों के अनुसार सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था/अधिक हो गए थे।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जिले हेतु पृथक लक्ष्य/सूचक निर्धारित नहीं किए गए थे जबकि मिशन द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित था तथापि जिले हेतु संकटकालीन सूचकों की प्रगति की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकी और राज्य स्तर पर सूचित ब्यौरे की प्रमाणिकता का सत्यापन भी नहीं किया जा सका।

ख) प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकताओं की तैनाती न करना

मिशन द्वारा शिशु मृत्यु दर मातृक मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति, जिसे अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्त्ता कहा जाता है, परिकल्पित योजनाओं में से एक है। अधिकृत सामाजिक सक्रियकर्त्ता प्रत्येक एक हजार जनसंख्या हेतु नियुक्त किया जाना है और समुदाय व स्वास्थ्य रक्षा तन्त्र के मध्य अन्तरापृष्ठ के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार ने प्रत्येक 800 लोगों के लिए एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्त्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया। जिले में 543 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्ताओं के चयन एवं प्रशिक्षण हेतु दिसम्बर 2007 में 28.59 लाख रूपये संस्वीकृत किए गए। तथापि, विभाग ने केवल 329 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्त्ताओं का चयन किया और चयन प्रक्रिया पर 0.26 लाख रूपये खर्च किए किन्तु सम्बन्धित गांवों में तैनाती हेतु उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिससे सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए।

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित (अक्तूबर 2009) किया कि परिवर्तित नीति के अनुसार अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्त्ता के कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को दिए जा रहे है। सच्चाई यह है कि अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्ताओं के कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को नहीं दिए गए है। चयनित 329 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्त्ताओं को प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिससे उन्हें चयनित कार्य हेतु तैनात किया जाता।

v) जननी सुरक्षा योजना

ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों में से एक जननी सुरक्षा योजना है जिसके अंतर्गत मातृक एवं नव्य प्रसव मृत्यु दर कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को घर की बजाए सांस्थानिक प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19 वर्ष की आयु से ऊपर दो बच्चों वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं को गृह प्रसव खर्चें हेतु 500 रू0 तथा सांस्थानिक प्रसव हेतु 700 रू0 की हकदार हैं।

क) सांस्थानिक प्रसव

जिला स्वास्थ्य संस्था द्वारा मुहैया सांस्थानिक एवं गृह प्रसव और नकद सहायता से सम्बंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका: 4

(संख्या)

वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	सांस्थानिक प्रसव	गृह प्रसव	प्रदान की गई नकद सहायता (रूपयो में)
2005-06	698	829	2	4,600
2006-07	829	786	4	1,200
2007-08	672	850	6	4,200
2008-09	605	930	6	28,800

स्रोत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए आंकड़े

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि जिला स्वास्थ्य संस्था सांस्थानिक प्रसवों की संख्या वृद्धि हेतु सक्षम है। तथापि, लाभार्थियों की श्रेणियां अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वालों को मातृ-शिशु स्वास्थ्य पंजिकाओं में दर्ज नहीं किया गया। परिणामत: यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वास्तव में पात्र लाभार्थियों को नकद सहायता मुहैया करवाई गई थी।

जिले तथा नमूना युनिटों[4] में सांस्थानिक प्रसवों के सम्बन्ध में प्राप्ति की स्थिति निम्नवत् है:

तालिका: 5

(संख्या)

जिला	वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	सांस्थानिक प्रसव	प्राप्ति की प्रतिशतता
सिरमौर	2005-06	11,839	2,136	18
	2006-07	11,584	2,246	19
	2007-08	11,903	3,229	27
	2008-09	11,189	4,071	36
नमूना युनिट	2005-06	5,834	900	15
	2006-07	5,687	1,033	18
	2007-08	6,018	1,496	25
	2008-09	5,696	1,020	18

स्रोत: जिला स्वास्थ्य संस्था एवं नमूना-जांच किए गए युनिटों द्वारा दिए गए आंकड़े

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नमूना-जांच किए गए स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ जिले में सांस्थानिक प्रसव सुविधाओं हेतु गर्भवती महिलाओं की पसंद प्रतिशतता मार्च 2008 तक 45 प्रतिशत के परिकल्पित लक्ष्य से दूर थी जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि इसका कारण नमूना युनिटों में स्वास्थ्य केन्द्रों में अपर्याप्त सुविधाएं जैसाकि तालिका-2 तथा 3 में दर्शाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उपलब्धियों में कमी का कारण ग्रामीण लोगों में जागरूकता की कमी तथा स्टॉफ का अभाव बताया (जुलाई 2009)। इस सम्बन्ध में जागरूकता लाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए और स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त स्टॉफ मुहैया क्यों नहीं करवाया गया।

ख) प्रसवपूर्व देखभाल

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले में गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता, जिन्होंने वर्ष 2005-09 के दौरान तीन प्रसवपूर्व जांच करवाई थी, मार्च 2009 तक 90 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति 67 तथा 72 प्रतिशत के मध्य रही।

vi) प्रतिरक्षण कार्यक्रम

जिले में बीसीजी, डीपीटी तथा ओपीवी से आवृत्त शून्य से एक वर्ष के मध्य के बच्चों के प्रतिरक्षण के सम्बंध में समग्र उपलब्धि वर्ष 2005-09 के दौरान 100 प्रतिशत थी। तथापि, वर्ष 2005-09 के दौरान बच्चों के परवर्ती प्रतिरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट डीटी (5 वर्ष की आयु वाले समूह) हेतु शून्य व 12 प्रतिशत, टीटी हेतु (10 वर्ष की आयु वाले समूह) शून्य व 13 प्रतिशत और टीटी हेतु (16 वर्ष की आयु वाले समूह) शून्य व 18 प्रतिशत रही।

---

4 सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा तथा शिलाई

ब्यौरा दर्शाता है कि वैक्सीन निरोध्य प्रचलित बीमारियां जिले में नगण्य थी क्योंकि वर्ष 2005-09 के दौरान जिले में प्रसवपूर्व टेटनस, डिफथेरिया, टेटनस तथा वूपिंग खांसी की भान्ति शिशु एवं बच्चों की बीमारियों का मामला सामने नहीं आया। तथापि, वर्ष 2005-09 के दौरान 220 खसरे के मामले सामने आए। जिले में वर्ष 2005-09 के दौरान पोलियो का नया मामला देखने में नहीं आया। जिले में पल्स पोलियो कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का आवृत लक्ष्य 100 प्रतिशत था।

vii) राष्ट्रीय अन्धापन नियन्त्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय अन्धापन नियन्त्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कैटारेक्ट सर्जरी में वृद्धि, स्कूली बच्चों की आंखों की जांच, दान की गई आंखों का संग्रहण, दान केन्द्रों का सृजन, नेत्र बैंक, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, आदि के माध्यम से वर्ष 2007 तक 0.8 प्रतिशत प्रचलित अन्धापन कम करना था।

वर्ष 2004-09 के दैरान कैटारेक्ट सर्जरी तथा स्कूली बच्चों की जांच हेतु लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया। जिले में 1,263 कैटारेक्ट सर्जरी एवं 53,654 स्कूली बच्चों की जांच की गई। जिले में किसी भी अस्पताल में नेत्र दान सुविधा का सृजन नहीं किया गया।

viii) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्यारहवीं योजना के अन्त तक कुष्ठ रोग कम करना और यह सुनिश्चित करना था कि प्रचलित कुष्ठ दर प्रति दस हजार पर एक से कम है। वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान जिले में क्रमशः 21, 21, 17, 28 तथा 36 नए मामलों के साथ-साथ उपचाराधीन कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या 20, 16, 16, 20 तथा 34 थी। जिले में प्रचलित कुष्ठ दर 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान राज्य स्तर पर प्रति हजार क्रमशः 0.31, 0.28, 0.38 तथा 0.25 के प्रति 0.34, 0.34, 0.39 तथा 0.65 प्रति 1,000 उच्चतर थी।

ix) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1992 में आरम्भ किया गया और वर्ष 2012 तक बढ़ाया गया। कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य है:

- देश में एच.आई.वी संक्रमण को फैलने से कम करना था;
- दीर्घावधि आधार पर एचआईवी/एड्स की प्रतिक्रिया हेतु क्षमता बढ़ाना।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निधियों की सामान्य समुदाय के लिए मध्यस्थता प्राथमिकता, कम लागत एड्स केयर/एसटीआई/एचआईवी/एड्स निगरानी प्रहरी, प्रशिक्षण, आदि की भांत्ति कार्यक्रम के विभिन्न घटकों/कार्यकलापों पर प्रयुक्त की जानी थी।

क) वर्ष 2004-09 के दौरान आंबटित निधियां (44.15 लाख रू0) जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूर्णतः प्रयुक्त की गई।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक स्वैच्छिक रक्त जांच केन्द्र स्थापित किया जाना था। राज्य सरकार ने सिरमौर सहित राज्य के सभी जिलों में एक स्वैच्छिक रक्त जांच केन्द्र (अब एकीकृत मन्त्रणा एवं जांच केन्द्र) स्थापित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2003 में सिरमौर जिले में पहला एचआईवी पॉजीटिव मामला सामने आया। जिले में मार्च 2009 तक जांच किए 2,845 लोगों में से 39 एचआईवी पॉजीटिव वाले थे। इनमें आठ पूर्णत: विकसित एड्स मामले सम्मिलित थे। जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी ने बताया (जून 2009) कि मामलों में वृद्धि का कारण मन्त्रणा व निगरानी तथा जांच किए गए लोगों की संख्या था।

ख) परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प

समुदाय में एचआईवी/एड्स तथा यौन संचारित रोगों के विषय में जागरूकता बढ़ाने और 15-49 वर्षों के आयु समूह में आने वाले लक्षित लोगों के प्रारम्भिक निदान एवं उपचार हेतु सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु भारत सरकार ने सभी राज्यों में चरणबद्ध ढंग से परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कैम्पों को स्थापित करने का निर्णय (नवम्बर 1999) लिया। सिरमौर जिले में वर्ष 2005-06 के दौरान एक परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

तालिका: 6

(संख्या)

अभियान अवधि	लक्षित आबादी	कैम्प में आए लोगों की संख्या	उपस्थिति प्रतिशतता
2005-06	1.51 लाख	0.33 लाख	22

स्रोत: आंकड़े जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मुहैया करवाये गए।

जिले में कम उपस्थिति निम्न स्तर पर कम गतिशीलता को सूचित करती है और लोगों में जागरूकता लाने/बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को प्रभावित करती है। उद्देश्यार्थ बज़ट प्राप्त न होने के कारण जिले में वर्ष 2005-06 के पश्चात और कैम्प नहीं लगाया गया।

ग) रक्त विश्वसनीयता

रक्त विश्वसनीयता घटक के अन्तर्गत विद्यमान रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाना है और नए रक्त बैंक खोले जाने है। रक्त घटक पृथककरण सुविधा केन्द्र एवं कुशल जनशक्ति भी उपलब्ध करवाई जानी है। जिले में एक रक्त बैंक है जिसमें कुशल जनशक्ति उपलब्ध होने पर भी रक्त पृथककरण सुविधा नहीं है।

सारांश:

स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना में रिक्तियों की पहचान से अन्तर्ग्रस्त उपयुक्त योजना के अभाव में और स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित सुविधाओं व कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता से जिले में लोगों को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य रक्षा मुहैया करवाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।

सिफारिशें

- *जिला स्वास्थ्य संस्था को स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना तथा सुविधाओं में रिक्तियों की पहचान का सर्वेक्षण करवाने में अधिक सक्रिय भाग लेना चाहिए और जिले के ग्रामीणों एवं असुरक्षित वर्गों को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य रक्षा मुहैया करवाने को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट टाइमफ्रेम तैयार करना चाहिए।*
- *कार्यक्रम की योजना, कार्यन्वयन एवं अनुश्रवण में प्रत्येक अवस्था पर सामुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।*
- *सामुदाय को यह विश्वास दिलाने के लिए कि स्वास्थ्य केन्द्र विद्यमान ही नहीं अपितु पूर्णतः परिचालनीय है, निधियों को इच्छित उद्देश्यार्थ, विशेषकर मूल स्वास्थ्य अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के सृजनार्थ प्रयुक्त किया जाना चाहिए।*
- *सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पर्याप्त एवं कुशल जनशक्ति युक्त होना चाहिए।*

5.2 शिक्षा

शिक्षा राष्ट्र की सामाजिक प्रगति के अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। स्कूलों में बच्चों की संख्या वृद्धि एवं उसे बनाए रखने पर, विशेषकर प्राथमिक तथा प्रारम्भिक खण्डों में राज्य और केन्द्रीय सरकारें विशाल राशि खर्च कर रही हैं। लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों, समाज के अन्य असुरक्षित वर्गों व दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति सहित, की ओर विशेष ध्यान भी सकेंन्द्रित है। प्राथमिक शिक्षा के साधारणीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान सरकार के ध्वज-पोत कार्यक्रमों में से एक है।

i) प्रारम्भिक शिक्षा

➢ **पंजीयन**

ज़िले में, विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के संदर्भ में, शिक्षा की कार्यस्थिति की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन स्कूलों में वर्ष 2004-09 के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (VIII स्तर तक) स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई किन्तु 6-14 वर्षों के लक्षित आयु समूह में कमी आई जैसाकि निम्न चार्ट से देखा जा सकता है:

चार्ट: 3

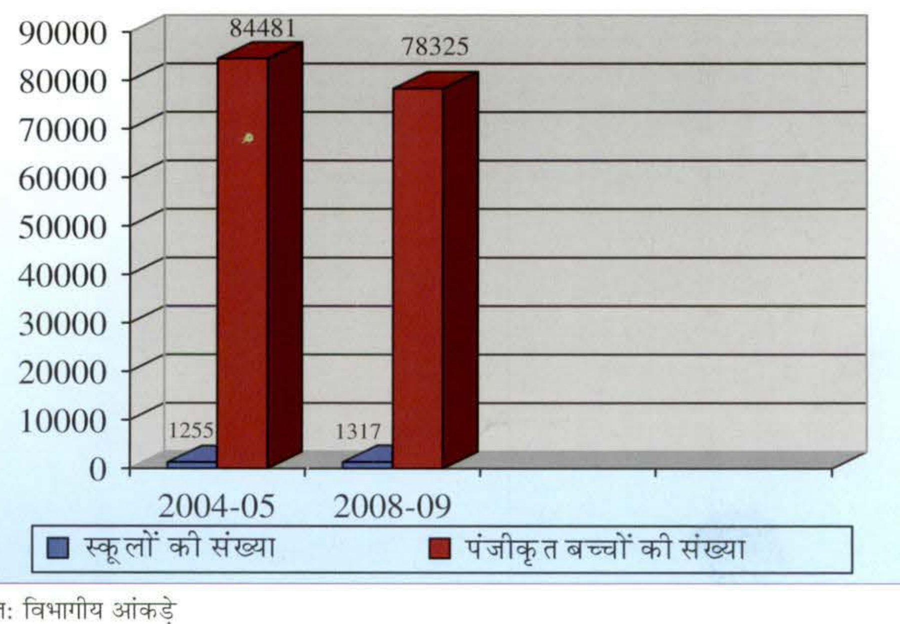

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपरोक्त डायग्राम जिले में स्कूलों की संख्या में वृद्धि तथा इन स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या में गिरावट दर्शाता है। परियोजना अधिकारी ने इसका कारण आर्थिक पृष्ठ भूमि तथा आजीविका विवशता और परिवारों का प्रवसन बताया (जून 2009)। तथापि, वर्ष 2004-08 के दौरान वार्षिक परिवार सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई ग्राम शिक्षा पंजिकाओं के अनुसार स्कूल में बच्चों की न आने की प्रतिशतता 2004-05 में 71 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 11 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

नमूना-जांच किए गए तीन[5] खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के अंतर्गत स्कूलों में तथा 10 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2005-09 के दौरान नए निजी स्कूलों के खुलने के कारण विद्यार्थियों के पंजीकरण में कमी आई।

निजी स्कूलों के किसी पंजीकरण ब्यौरे के अभाव में निजी स्कूलों में पंजीकरण वृद्धि तथा सरकारी स्कूलों में पंजीकरण में अनुवर्ती कमी की स्थिति लेखापरीक्षा में सहसम्बंधित नहीं की जा सकी।

> **स्कूल छूटना**

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने की संख्या का अनुश्रवण नहीं कर रहा था क्योंकि वर्ष 2004-09 की अवधि हेतु स्कूल छोड़ने से सम्बंधित ब्यौरा नहीं रखा गया था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 10 नमूना-जांच किए गए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2005-09 के दौरान आठ तथा 36 प्रतिशत के मध्य रही।

> **अवसंरचना**

मार्च 2009 को ज़िले में प्राथमिक स्कूलों में अवसंरचना की कार्यस्थिति नीचे दी गई है:

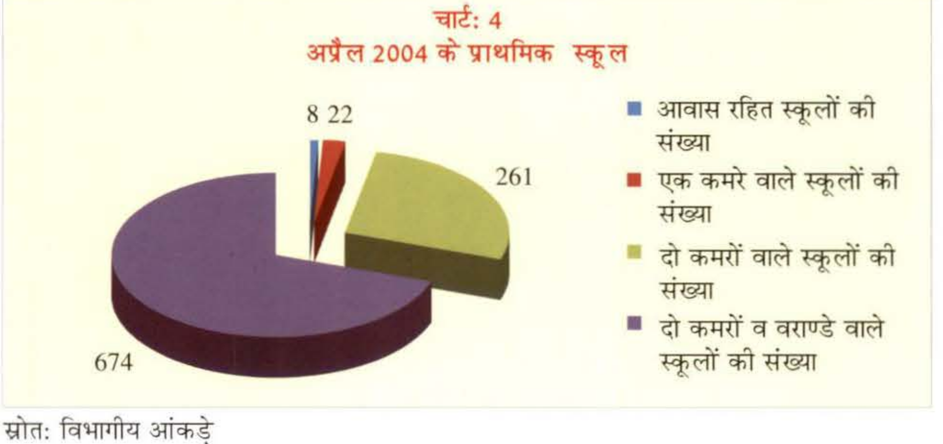

स्रोत: विभागीय आंकड़े

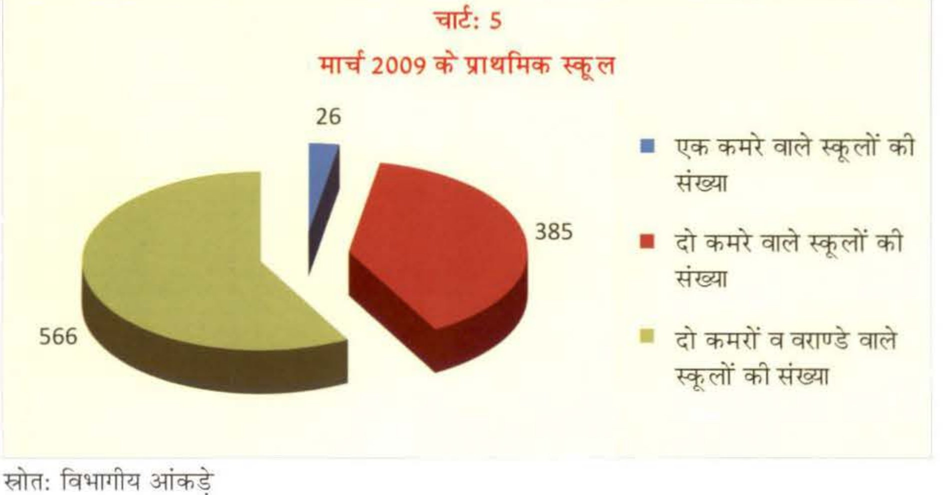

स्रोत: विभागीय आंकड़े

---

5 खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नाहन, ददाहू तथा सराहन

छायाचित्र: 6

बिना भवन शैड में चलाया जा रहा सरकारी प्राथमिक स्कूल, बनोग (नाहन)

उपरोक्त चार्ट अवसंरचना के प्रावधान में सुधार को सूचित करते हैं। **तथापि, ब्यौरे की सच्चाई संदिग्ध है क्योंकि ब्यौरे के अनुसार मार्च 2009 को बिना आवास के स्कूल नहीं है किन्तु लेखापरीक्षा में बिना आवास का राजकीय प्राथमिक स्कूल, बनोग पाया गया।** दो कमरों से अधिक के स्कूलों की संख्या 2004-05 में 674 से घट कर 2008-09 में 566 रह गई जिसके कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताए गए। मार्च 2009 को जिले में 977 प्राथमिक तथा 340 उच्च प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या में से महत्वपूर्ण संख्या के कक्षा कमरों की अधिक मरम्मतें की जानी अपेक्षित थीं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट: 6

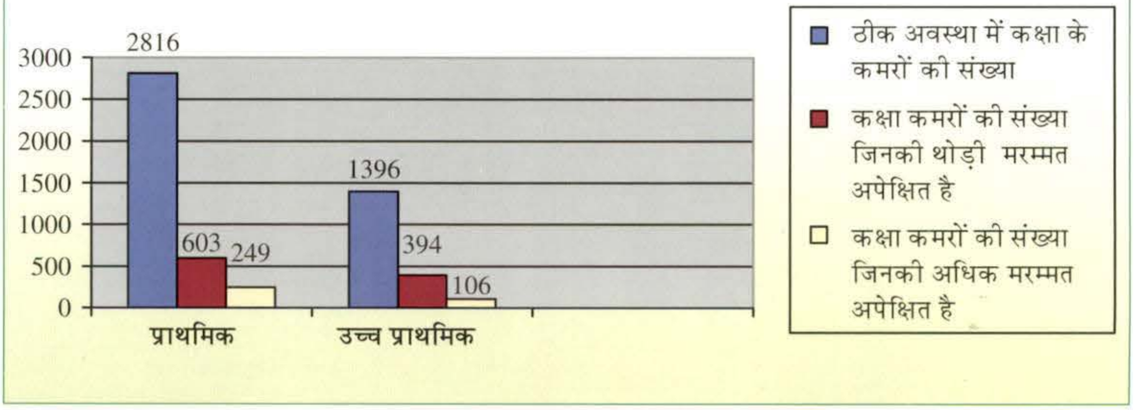

स्रोत: विभागीय आंकडे

2005-09 के दौरान जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान ने उपरोक्त सभी स्कूलों को मरम्मत कार्यों हेतु क्रमशः प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को 4000 रू0 और 7000 रू0 की दर से प्रति स्कूल 2.39 करोड़ रू0 का वार्षिक भुगतान किया। जिला परियोजना अधिकारी द्वारा इस सम्बंध में किसी अनुवर्ती कार्रवाई के बिना तथा निधियों की प्रयुक्ति से सम्बंधित साक्ष्य के अभाव में व्यय की प्रामाणिकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

छायाचित्र: 7

जीर्ण-शीर्ण अवस्था में बड़ा चौक नाहन में सरकारी प्राथमिक स्कूल की कक्षा का कमरा

➢ मूलभूत सुविधाएं

प्रारम्भिक स्तर पर अधिकांश स्कूलों में मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं नहीं है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका: 7

(संख्या)

श्रेणी	जिले में कुल स्कूल	शौचालय	लड़कियों के शैचालय	पीने का पानी	ऐकसैस रैप	चार दिवारी	खेल का मैदान	मिड-डे-मिल रसोई घर में
प्राथमिक	977	356	524	127	697	808	439	567
उच्च प्राथमिक	340	160	153	56	234	282	136	338

स्रोत: आंकड़े जिला परियोजना अधिकारी द्वारा जुटाए गए हैं

छायाचित्र: 8

राजकीय प्राथमिक स्कूल, बड़ाचौक (नाहन) में कक्षा कमरा एवं रसोई

छायाचित्र: 9

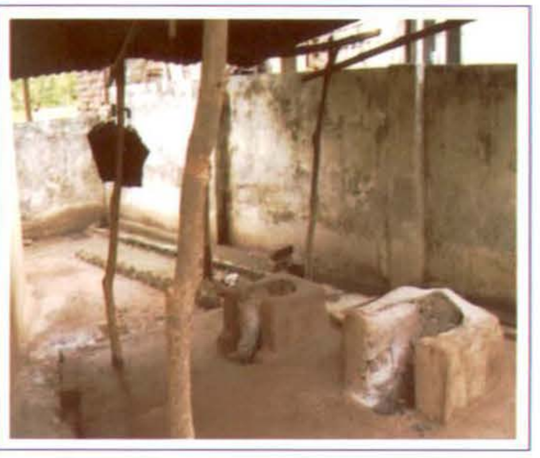

राजकीय माध्यमिक पाठशाला बोहलियां में खुले में मिड डे मील रसोई अस्थायी ढांचे में

➢ **अध्यापकों की उपलब्धता**

प्रत्येक प्राथमिक स्कूल हेतु दो अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा हेतु एक अध्यापक के मानक के प्रति प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों बहुत से स्कूलों में इस मानक की पालना नहीं की गई जैसाकि निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका: 8

वर्ष	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या	केवल एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या	उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या		
			एक अध्यापक वाले	दो अध्यापक वाले	बिना किसी अध्यापक के
2004-05	965	66	4	11	9
2005-06	965	116	7	17	13
2006-07	966	91	18	15	शून्य
2007-08	975	81	21	15	7
2008-09	977	117	20	24	शून्य

स्रोत: जिला परियोजना अधिकारी द्वारा जुटाए गए आंकड़े

उपरोक्त ब्यौरा स्कूलों में अपर्याप्त अवसंरचना सुसाध्यता/सुख-सुविधा की उपलब्धता तथा स्टाफ की स्थिति को दर्शाता है।

ii) उच्च शिक्षा

जिले में उच्च शिक्षा 61 राजकीय उच्च विद्यालयों, 79 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चार महाविद्यालयों तथा एक संस्कृत महाविद्यालय के नेटवर्क माध्यम से दी जा रही है। शैक्षणिक विकासार्थ स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा नियंत्रण अधिकारी है। वर्ष 2005-06 की तुलना में 2006-09 के दौरान जिले में कक्षा IX से XII के बच्चों का पंजीकरण कम हुआ है। उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने बताया (जून 2009) कि विद्यार्थियों के राज्य/ज़िले से बाहर प्रवसन तथा घरेलू परिस्थितियों के कारण पंजीकरण 2005-06 में 23,237 से घटकर 2008-09 में 20,436 रह गया।

➢ **योजना**

उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने स्कूलों में विद्यार्थियों व स्टाफ के लिए पर्याप्त आवास तथा अवसंरचना उपलब्धता के निर्धारण का सर्वेक्षण नहीं करवाया। वर्ष 2005-09 के दौरान जिले में 49 स्कूलों के निर्माणार्थ लोक निर्माण विभाग को 6.28 करोड़ रू0 की राशि आवंटित की गई थी। उपनिदेशक, उच्च शिक्षा ने स्कूल भवनों के निर्माण की कार्यस्थिति का अनुश्रवण नहीं किया तथा इसकी कार्यस्थिति सम्बंधी

पूर्व सूचना भी नहीं थी। अत: वह इन भवनों की प्रत्यक्ष/वित्तीय प्रगति सम्बंधी कोई सूचना मुहैया नहीं करवा सके।

➢ अवसंरचना एवं सुख-सुविधाएं

ज़िले में 140 उच्च विद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुसाध्यता निम्नवत् हैं:

तालिका: 9

(संख्या)

पक्के भवन बिना	किराए के भवनों में चलाए जा रहे	सुरक्षित पेय जलाभाव	लड़के व लड़कियों हेतु पृथक शौचालय बिना	विस्तृत क्रीड़ा-स्थल के बिना	विद्युत बिना	विज्ञान विषयों हेतु पृथक प्रयोगशालाओं के बिना
05	शून्य	07	104	18	09	43

स्रोत: आंकड़े उप निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जुटाए गए। यह सूचना सर्व शिक्षा अभियान के डीआईएसई के ब्यौरे अनुसार दी गई है। स्टाफ की कमी के कारण अभिलेख का जिला-स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया गया।

- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाहन के पास अपनी भूमि व भवन नहीं है तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाहन के परिसर में चलाया जा रहा था। वर्ष 2006-09 के दौरान शिक्षा विभाग ने नाहन में महाविद्यालय भवन के निर्माणार्थ लोक निर्माण विभाग के पास 4.65 करोड़ रू0[6] जमा करवाए किन्तु नगर परिषद्, नाहन ने जून 2009 तक भूमि का अंतरण नहीं किया था।

- छ: स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, सात स्कूलों में पुस्तकालय, तीन में क्रीड़ा-स्थल, छ: में विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर नहीं था तथा एक स्कूल में लड़कों हेतु शौचालय सुविधा नहीं थी। उप निदेशक उच्च शिक्षा ने समापन सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार (अक्तूबर 2009) कर लिया।

iii) शिक्षा गुणवत्ता

स्कूलों/महाविद्यालयों में अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा कक्षा X व XII के बोर्ड परिणामों में सुधार स्तर के साक्ष्य अध्यापन गुणवत्ता में प्रतिबिम्बित होने पर ही गुणवत्ता शिक्षा दी जा सकती है।

➢ अध्यापकों की उपलब्धता

मार्च 2009 को ज़िले में अध्यापकों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत थी।

---

6 2006-07: 2.00 करोड़ रू0, 2007-08: 2.00 करोड़ रू0 तथा 2008-09 : 0.65 करोड़ रू0

चार्ट: 7

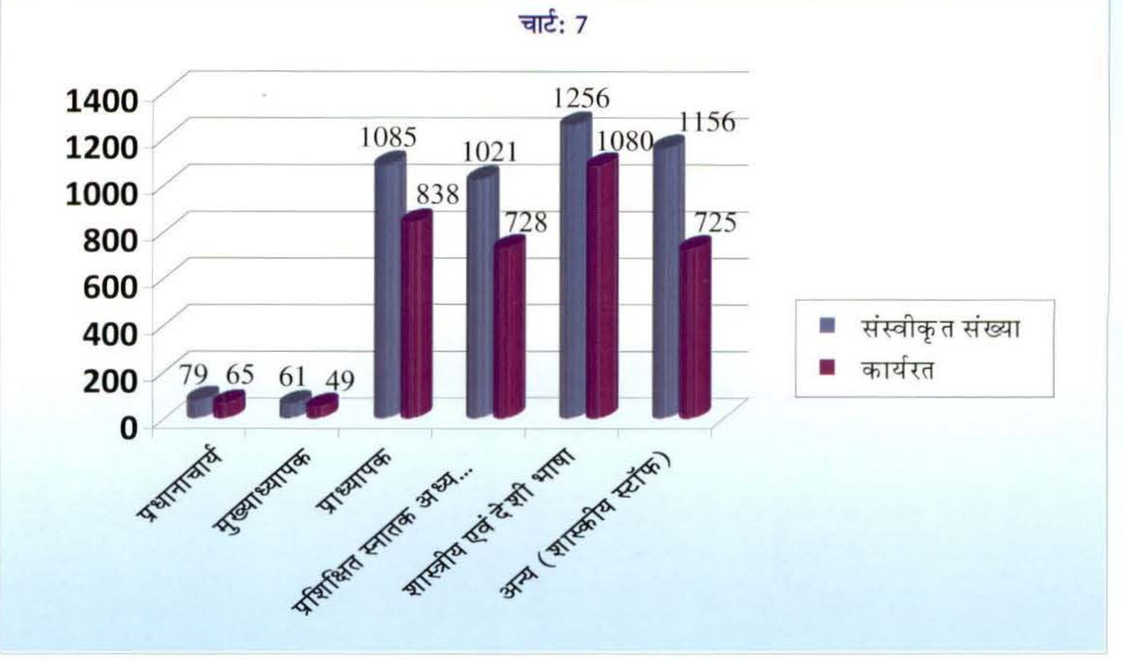

स्रोत: विभागीय आंकड़े

नमूना-जांच किए गए 12 संस्थानों में वर्ष 2004-09 के दौरान विभिन्न वर्गों में (प्रधानाचार्य: दो; प्राध्यापक: 27; प्रशिक्षित: स्नातक शिक्षक: 10; तथा अन्य: 33) 33 पदों की कमी थी।

➢ **बोर्ड के परिणाम**

उप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों के समग्र उतीर्ण प्रतिशतता से सम्बंधित ब्यौरे का अनुरक्षण नहीं किया गया था। अत: विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणवत्ता सुधार तथा स्कीमों के उत्तरदायित्व का प्रभाव लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

नमूना जांच किए गए 12 स्कूलों[7] में से दस में वर्ष 2008-09 के दौरान कक्षा-VIII के सम्बंध में उत्तीर्ण प्रतिशतता वर्ष 2004-05 व 2007-08 की तुलना में कम हुई। कक्षा X व XI के सम्बंध में वर्ष 2004-05 की तुलना में वृद्धि हुई जबकि कक्षा XII के सम्बंध में वर्ष 2005-08 की तुलना में उर्तीण प्रतिशतता घटती प्रवृत्ति दर्शाती है जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका:10

(प्रतिशतता)

कक्षा	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
VIII	52	55	30	61	49
X	44	56	49	61	70
XI	54	64	56	67	70
XII	75	80	80	84	77

स्रोत: विभागीय आंकड़े

7 79 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तथा 61 राजकीय उच्च स्कूलो में से

उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने समापन सम्मेलन में स्वीकार किया (अक्तूबर 2009) कि बोर्ड के परिणाम संतोषजनक नहीं थे तथा यह भी बताया कि खराब परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है।

➢ स्कूलों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश शिक्षा नियमावली में प्रावधान है कि शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी स्कूलों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षणार्थ उत्तरदायी है। स्कूलों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना होता है।

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी ने वर्ष 2004-09 के दौरान जिले में स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया था।

उप निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्च विद्यालयों के सम्बंध में वर्ष 2004-09 के दौरान 633 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने केवल 187 निरीक्षण किए परिणामत: 446 निरीक्षण (70 प्रतिशत) कम किए गए। उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने बताया (जुलाई 2009) कि वाहन हेतु चालक की अनुपलब्धता तथा उप निदेशक, उच्च शिक्षा के निरन्तर स्थानांतरणों के कारण निरीक्षणों को नहीं किया जा सका।

iv) छात्रवृत्ति स्कीमें

इन स्कीमों के कार्यान्वयन की सीमा पर चर्चा निम्नवत् है:

➢ अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति

स्कीम को ज़िले में वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2005-07 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के 1087 पात्र विद्यार्थी थे जिन्हें दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति दी जानी थी किन्तु इस स्कीम के अंतर्गत बजट प्राप्त न होने के कारण विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहे। वर्ष 2007-08 से 2008-09 हेतु सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों की पहचान तथा इस उद्देश्यार्थ निधियों की आवश्यकता का कार्य नहीं किया गया। अत: स्कीम दक्षतापूर्वक व्यवस्थित नहीं थी।

पांच नमूना जांच किए गए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों[8] में सभी 129 पात्र विद्यार्थि बजट की अनुपलब्धता के कारण लाभ से संचित रहे। पांच नमूना-जांच किए गए राजकीय उच्च विद्यालयों[9] द्वारा पात्र विद्यार्थियों का ब्योरा नहीं दिया गया।

➢ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रवृतियां

यह छात्रवृत्ति एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहचान किए गए परिवारों के I से XIIवीं

---

8 ददाहू, कफोटा, नाहन (लड़के), नाहन (लड़कियां) तथा सराहन

9 अजोली, बाता मण्डी, बिक्रम बाग, हरीपुर खोल तथा रामपुर भारापुर

कक्षा के विद्यार्थियों को वार्षिक[10] रूप से 1991-92 से स्वीकृत की जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। वर्ष 2004-09 के दौरान इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान तथा किया गया व्यय और ज़िले में सम्मिलित किए गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत् है:

तालिका: 11

वर्ष	बजट (लाख रू0)	व्यय (लाख रू0)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या
2004-05	23.91	23.60	6,466	6,466
2005-06	24.50	24.25	6,927	6,927
2006-07	24.08	23.89	3,502	3,502
2007-08	26.99	26.99	5,824	5,824
2008-09	26.71	26.71	3,011	3,011

स्रोत: आंकड़े उप निदेशक, उच्च शिक्षा एवं उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जुटाए गए

टिप्पणी: प्राप्त आवेदन एवं सम्मिलित विद्यार्थियों के आंकड़े केवल कक्षा IX से XII के हैं। वर्ष 2004-09 की अवधि हेतु कक्षा I से V, वर्ष 2007-09 हेतु कक्षा VI से VIII के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विद्यार्थियों के पंजीकरण सम्बंधी ब्यौरे का जिले में अनुरक्षण नहीं किया गया। तथापि, वर्ष 2004-06 की अवधि हेतु कक्षा VI से VIII तथा वर्ष 2004-09 की अवधि हेतु कक्षा IX से XII के सम्बंध में पंजीकरण ब्यौरा जिले में उपलब्ध था।

नमूना-जांच किए गए ग्यारह[11] महाविद्यालयों तथा स्कूलों और तीन[12] शैक्षणिक खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों के 11,562 विद्यार्थियों में से 11,253 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया और 309 विद्यार्थी बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण इच्छित लाभ से वंचित रहे।

- **दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति स्कीम**

उप निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ज़िले में सभी 4,946 पात्र विद्यार्थियों को वर्ष 2004-09 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 140 रू0 प्रति मास तथा

10

(रूपए में)

कक्षाएं	प्रति छात्र छात्रवृति की राशि	
	लड़के	लड़कियां
I से V	50	150
VI से VIII	250	500
IX से X	300	600
XI से XII	800	800

11 1. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, नाहन 2. राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, नाहन 3. राजकीय उच्च स्कूल, अजोली 4. राजकीय उच्च स्कूल, बाता मण्डी 5. राजकीय उच्च स्कूल, बिक्रम बाग 6. राजकीय उच्च स्कूल, हरीपुर खोल 7. राजकीय उच्च स्कूल, रामपुर भारापुर 8. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, ददाहू 9. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, कफोटा 10. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (लड़के), नाहन 11. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (लड़कियां), नाहन तथा 12. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, सराहन

12 खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नाहन, ददाहू तथा सराहन

पिछड़ा वर्ग के लिए 90 रू0 प्रति मास की दर से 73.84 लाख रू0 की वित्तीय सहायता मुहैया करवाकर स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

तथापि, नमूना-जांच किए गए सात[13] (12 में से) संस्थानों में 1241 विद्यार्थियों में से 908 को दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ दिया गया तथा 333 विद्यार्थी बजट अनुपलब्धता के कारण वंचित रहे। इससे पता चलता है कि ज़िला मुख्यालय पर संकलित ब्यौरा वास्तविक तथ्य पर आधारित नहीं था।

➢ कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रवृत्ति स्कीम

कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गई। इस स्कीम के अंतर्गत कक्षा IX व X में पढ़ रही 16 वर्षों से कम उम्र की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बंधित लड़कियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाना था। ज़िले में, वर्ष 2008-09 के दौरान ऐसी 147 लड़कियों की पहचान की गई किन्तु राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन न करने के कारण लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

सारांश में, जिले में बहुत से स्कूलों में मूलभूत अवसंरचना/सुविधाएं नहीं थी तथा छात्रवृत्ति स्कीमों को दक्षतापूर्वक नहीं चलाया गया क्योंकि सम्मिलित किए जाने वाले वास्तविक विद्यार्थियों का डाटाबेस और निधियों की आवश्यकता के निर्धारणार्थ इसकी आवधिक अद्यतनता का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसमें पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के लाभ से वंचित रहना पड़ा। स्कूलों में अध्यापकों की कमी ने बोर्ड के परिणामों को प्रभावित किया जो संतोषजनक नहीं था।

उपायुक्त ने समापन सम्मेलन में उप निदेशक, उच्च शिक्षा को छात्रवृत्तियों के भुगतान के उद्देश्यार्थ सभी पात्र विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार करने का परामर्श दिया। उप निदेशक, उच्च शिक्षा इसके लिए सहमत हो गए।

सिफारिशें

- *अध्यापन एवं अध्ययनार्थ उपयुक्त पर्यावरण की सुनिश्चितता हेतु सभी स्कूलों, विशेषकर आरम्भिक स्तर पर, के सम्बंध में आवास तथा मूलभूत अवसंरचना/सुविधाओं को प्राथमिकता के रूप में मुहैया करवाना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को सर्वेक्षण तथा विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों का डॉटाबेस सृजित करवाना चाहिए। यह डॉटाबेस वार्षिक आधार पर अद्यतन करवाना चाहिए और सभी पात्र विद्यार्थियों को मानकों के अनुसार समयबद्ध ढ़ंग से छात्रवृत्ति मुहैया करवानी चाहिए।*

---

[13] 1. राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, नाहन 2. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, नाहन 3. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, ददाहू 4. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, कफोटा 5. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (लड़के), नाहन 6. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (लड़कियां), नाहन तथा 7. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, सराहन

5.3 जलापूर्ति

सभी नागरिकों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को, पर्याप्त एवं सुरक्षित पेय जल का प्रावधान करना दोनों केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए प्राथमिकता है। सिरमौर ज़िले में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन[14] मण्डलों के माध्यम से पेय जल के प्रावधानार्थ राज्य के साथ पूर्णत: तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा चार राज्य योजना स्कीमों का कार्यन्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2004-09 के दौरान ज़िले में जलापूर्ति स्कीमों पर बजट आवंटन तथा व्यय निम्नवत् था:

तालिका: 12

(करोड़ रूपये)

वर्ष	केन्द्रीय निधि आवंटन	व्यय	राज्य निधि आवंटन	व्यय
2004-05	5.39	4.95	5.27	4.80
2005-06	7.51	7.54	4.52	4.13
2006-07	5.40	5.21	4.29	5.40
2007-08	9.71	9.95	16.37	16.47
2008-09	8.20	8.26	16.55	16.92
योग	**36.21**	**35.91**	**47.00**	**47.72**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

i) जलापूर्ति की स्थिति

ज़िले में 4312 निवासों में से 45 प्रतिशत निवास जलापूर्ति सुविधा से पूर्णत: आवृत्त, 30 प्रतिशत आंशिक रूप से आवृत्त तथा शेष आवृत्त किए जाने थे।

चॉर्ट-8

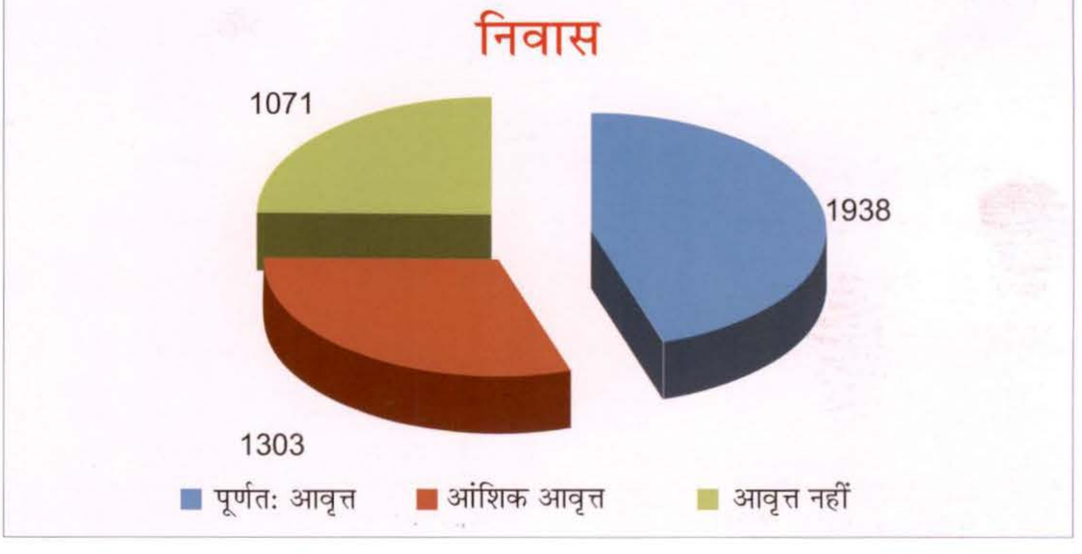

14 नाहन, नौहराधार तथा पांवटा साहिब

ii) स्कीमों के निष्पादन की स्थिति

विस्तृत कार्य योजना 2003 के अनुसार तीन प्रतिदर्श मण्डलों में 939 निवासों को 2004-09 के दौरान आवृत्त किया जाना था। विभाग ने 829 निवासों को आवृत्त करने को 62.17 करोड़ रू0 की लागत पर 154 जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन को आरम्भ किया। इनमें से 66 निवासों को आवृत्त करने वाली केवल 32 स्कीमें 6.92 करोड़ रू0 के व्यय पश्चात् मार्च 2009 तक पूर्ण की गई। इन 32 स्कीमों में से तेरह 0.79 करोड़ रू0 की अधिक लागत से तीन से 33 महीनों के विलम्ब से पूर्ण की गई। 763 निवासों को आवृत्त करने वाली 122 जलापूर्ति स्कीमें 31.51 करोड़ रू0 का व्यय करने के पश्चात् प्रगति पर थीं। वर्ष 2007-09 के दौरान अनुमोदित 110 निवासों को आवृत्त करने वाली 28 जलापूर्ति स्कीमें जून 2009 तक आरम्भ नहीं की गई थीं।

लेखापरीक्षा संविक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभागीय स्तर पर पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा अपेक्षित आवृत्ति के अभाव में न केवल समय पर स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब हुआ अपितु कार्यों की गुणवत्ता के बारे में भी शंकाएं उठ खड़ी हुई। इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थी पर्याप्त व सुरक्षित पेय जल से वंचित रहे।

iii) जल गुणवत्ता

विभागीय अनुदेशानुसार ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के सुरक्षित पेय जल की सुनिश्चितता हेतु वर्षा ऋतु के दौरान पानी के नमूनों का राज्य की प्रयोगशालाओं में पाक्षिक तथा उसके बाद मासिक परीक्षण करवाया जाना अपेक्षित है। तीन प्रतिदर्श मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 783 स्कीमों के सम्बंध में वर्ष 2004-09 के दौरान अपेक्षित 40,938 पानी के नमूना परीक्षणों के प्रति वास्तव में केवल 12,780 परीक्षण किए गए परिणामत: 69 प्रतिशत की कमी आई। यह भी देखा गया कि सभी तीन प्रतिदर्श मण्डलों में अंतिम पांच वर्षों के दौरान पानी परीक्षण की किटें प्राप्त नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, जिले में केवल नाहन में एक पानी परीक्षण प्रयोगशाला है जहां किसी प्रयोगशाला सहायक की तैनाती न होने के कारण जनवरी 2009 से पानी परीक्षण नहीं किया गया।

सिरमौर स्थित नाहन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सूचनानुसार वर्ष 2004-09 के दौरान सिरमौर ज़िले में पानी जन्य रोगों के (डॉयरिया/डॉयसेंट्री: 1,18,365 तथा गैसट्राइटस 5,996) 1,24,361 मामले ध्यान में आए जिसके इलावा वर्ष 2004-05 के दौरान गैसट्राइटस के कारण दो की मृत्यु हुई।

अधिशासी अभियंता, नाहन व पांवटा मण्डलों ने समापन सम्मेलन में बताया (अक्तूबर 2009) कि नाहन स्थित एक प्रयोगशाला जिले में पानी परीक्षण सेवाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है तथा पृथक से और प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जा रहा है।

संक्षेप में जिलें में लोगों को असुरक्षित जलापूर्ति की जा रही थी क्योंकि निवासियों को जल गुणवत्ता को अपेक्षित पानी के नमूने द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था; परिणामस्वरूप ज़िले में जल-जनित रोगों के मामलों की पर्याप्य संख्या देखने में आई।

5.4 स्वच्छता सुविधाएं

जिले में नाहन तथा पांवटा साहिब दो नगर हैं जहां मलव्यवस्था की सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं की गई। पांवटा सहिब नगर हेतु 2.62 करोड़ रू0 की मलव्यवस्था स्कीम को अनुमोदित (अक्तूबर 1995) किया गया जिसे पांच वर्षों की निर्धारित अवधि (अर्थात् सितम्बर 2000) के भीतर पूर्ण किया जाना था। **8.81 करोड़ रू0 व्यय करने के बावजूद स्कीम जून 2009 तक अपूर्ण पड़ी हुई थी तथा नगर में मलव्यवस्था सुविधा निर्धारित समय के भीतर मुहैया नहीं करवाई गई।**

अधिशासी अभियंता ने विलम्ब का कारण निधियों की अनुपलब्धता, भूमि झगड़े तथा सामग्री प्रापणार्थ लिए गए समय को बताया (जून 2009)। उत्तर विभाग की स्कीम के निष्पादन करने से पूर्व खराब योजना को सूचित करता है।

अत: नाहन व पांवटा साहिब में मलव्यवस्था सुविधाओं के अभाव में इन नगरों के निवासियों को असंसाधित अपशेष तथा मलजल छोड़ दिया जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम है।

सिफारिशें

- *राज्य सरकार/ज़िला प्रशासन को समयबद्ध ढ़ंग में अनावृत्त निवासियों को पेय जल मुहैया करवाने को युद्धनीतिक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।*
- *लोगों को सुरक्षित पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने को पानी गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली का सुधार/उन्नयन करना चाहिए।*
- *पांवटा साहिब नगर की मलव्यवस्था स्कीम की शीघ्र पूर्णता सुनिश्चितता हेतु प्रभावी पग उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मलव्यवस्था सुविधा मुहैया करवाने हेतु नाहन नगर को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।*

अध्याय 6: आर्थिक सेवाएं

6.1 अवसंरचना

अच्छी अवसंरचना जिले की विकास सम्भाव्यता बढ़ाती है तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अन्तर को दीर्घावधि तक पूरा करती हैं यह दूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों को ज़िला मुख्यालय के निकट भी लाएगी और समानता व अर्थव्यवस्था के विकास को सम्मिलित करती है। अवसंरचना में बारह महीने सड़कों को खुले रखने, परिवार औद्योगिक व सिंचाई आवश्यकताओं को पर्यांप्त बिजली, रेलों से जोड़ना, हवाई सेवाओं तथा विश्वसनीय संचार सुविधाओं के प्रावधान सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा विश्लेष्ण से उद्घाटित हुआ कि जिला में हवाई अड्डा तथा रेल सम्पर्क नहीं है। नाहन शहर से 90 किलोमीटर दूर चण्डीगढ़ में समीपवर्ती हवाई अड्डा है। समीपवर्ती रेलवे स्टेशन अम्बाला कैंट (हरियाणा) है जो नाहन शहर से 65 किलोमीटर है। जिला में सड़कों के विकास की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2009 तक 70 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ा गया था। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे दी गई है।

i) सड़कें

क) सड़क सम्पर्क का स्तर

जिले में कुल 971 गांवों में से केवल 680 गांवों को मार्च 2009 तक सड़क से जोड़ा गया है। जिला मुख्यालय से विभिन्न स्थानों की दूरी 18 किलोमीटर (काला अम्ब) से 125 किलोमीटर (राजगढ़) के बीच है। खण्डों से जिला मुख्यालय की दूरी निम्नलिखित है:

तालिका: 13

खण्ड	जिला मुख्यालय से दूरी (किलोमीटर)
नाहन	यह खण्ड जिला मुख्यालय में है
पांवटा साहिब	45
राजगढ़	125
शिलाई	117
संगड़ाह	65
पच्छाद	39

स्रोत: राज्य योजना विभाग

31 मार्च 2009 को जिले में सड़क से जोड़ने की कार्य स्थिति निम्नलिखित है:

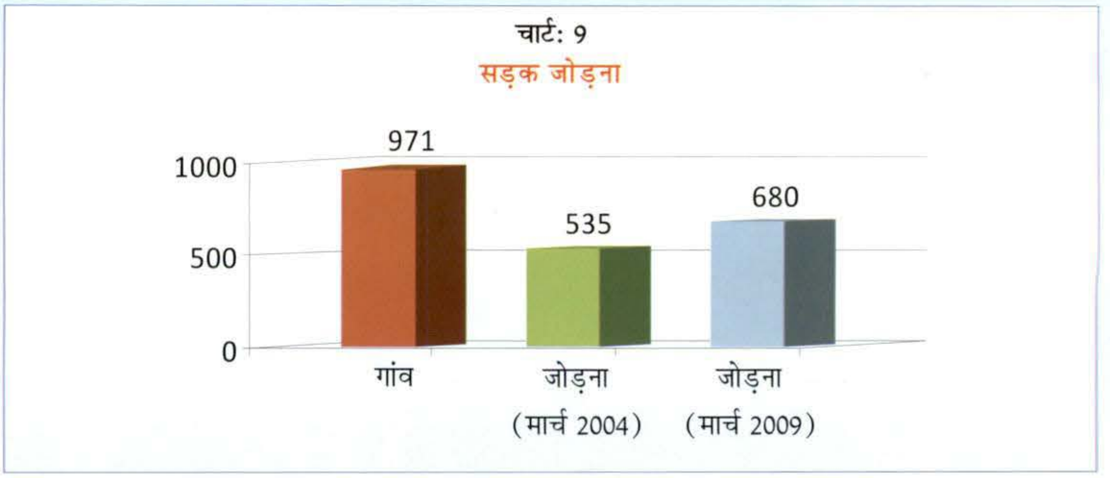

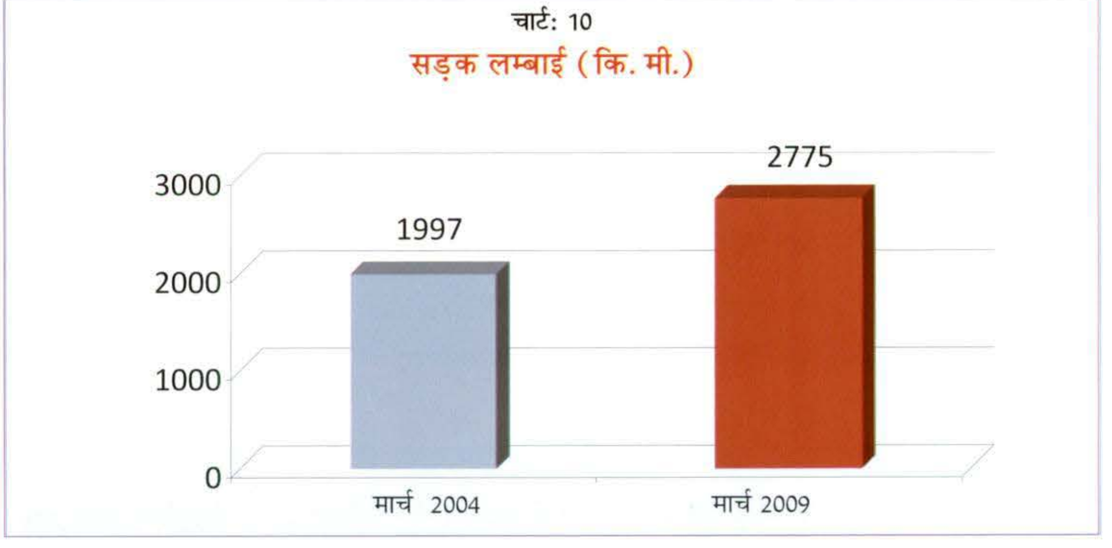

स्रोतः राज्य योजना विभाग

जैसाकि उपरोक्त चार्टों से देखा जा सकता है कि गत पांच वर्षों के दौरान केवल 145 गांवों (15 प्रतिशत) को सड़कों के माध्यम से जोड़ने में वृद्धि हुई तथा 778 कि0मी0 (39 प्रतिशत) सड़कों की लम्बाई उपलब्ध करवाई गई। अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (मई-जुलाई 2009) कि निजि/वन भूमि पर सड़क संरेखण के विवाद से कम प्रगति हुई।

ख) सड़कों के विकास हेतु स्कीमें

केन्द्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा भारत निर्माण कार्यक्रम सड़कों के निर्माण/विकास हेतु अति महत्वपूर्ण योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य स्कीम मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना है। जिसका उद्देश्य ग्राम सम्पर्क सड़कों का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रगति की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में आरम्भ किया गया था तथा प्रत्येक बस्ती जिसकी जनसंख्या 1000 अथवा अधिक है को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों के साथ तीन वर्षों के भीतर अर्थात वर्ष 2003 तक और 500 अथवा अधिक लोगों की बस्तीयों को दसवीं योजना के अन्त तक जोड़ने का लक्ष्य था। इस सम्बन्ध में मार्च 2009 तक की स्थिति निम्नवत है:-

तालिका: 14

बस्ती	बस्तियों की कुल संख्या	बस्तियों की संख्या		कमी की प्रतिशतता
		जोड़ी गई	अभी जोड़ी जानी है	
1000 से ऊपर लोग	19	12	7	37
500 से ऊपर लोग	55	39	16	29

स्रोत: विभागीय आंकड़े

2004-09 के दौरान इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 91.31 करोड़ रू0 की राशि की निधियां उपलब्ध करवाई गई तथा जिले की सड़कों के निर्माणार्थ राज्य बजट से 75.06 करोड़ रू0 राज्य सरकार ने आवंटित किए थे। इसमें से क्रमश: 91.52 करोड़ रू0 तथा 71.68 करोड़ रू0 का व्यय किया गया था।

समीक्षा अवधि के दौरान जिले के लिए सड़क कार्यों के ब्यौरे तथा इनके निष्पादन की प्रगति को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका: 15

वर्ष	लिए गए कार्यों की संख्या		अनुमोदित लागत (करोड़ रू0)		पूर्ण किए गए कार्य			
					(संख्या में)		(लागत करोड़ रू0 में)	
	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य क्षेत्र	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य क्षेत्र	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य क्षेत्र	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य क्षेत्र
2004-05	17	4	20.77	4.04	12	3	13.05	2.07
2005-06	7	4	11.29	11.46	5	1	7.05	5.27
2006-07	39	12	74.19	4.50	13	1	9.47	0.05
2007-08	9	3	10.44	4.63	2	--	1.97	--
2008-09	2	6	4.20	1.44	--	--	--	--
योग	**74**	**29**	**120.89**	**26.07**	**32**	**5**	**31.54**	**7.39**

स्रोत: सम्बन्धित मण्डलों द्वारा आपूति सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा आकड़े संकलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उदघाटित हुआ कि 2004-09 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत लिए गए 103 कार्यों में से केवल 37 कार्य (36 प्रतिशत) पूर्ण किए गए थे,

पूर्णता की नियतावधि के भीतर 21 कार्य प्रगति पर थे तथा शेष 45 कार्य मार्च 2009 तक अपूर्ण पड़े रहे थे। 45 कार्यों की पूर्णता में विलम्ब दो तथा 32 महीनों के मध्य था। अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मई-जुलाई 2009) कि विलम्ब निजि भूमि के अर्जन तथा गैर-वानिकी उद्देश्य हेतु वन भूमि के प्रयोगार्थ संस्वीकृति के अभाव में था।

संक्षेप में, जिला सिरमौर में 30 प्रतिशत गांवों को अभी भी सड़क सम्पर्क को प्रदान किया जाना शेष था जिसका मुख्य कारण वन/निजि भूमि के अधिग्रहण में अड़चन होना था।

सिफारिशें

- *सड़क सम्पर्क परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए भूमि विवाद निपटान तंत्र को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता है।*

ii) अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु स्कीमें

अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु जैसे राजकीय पाठशालाओं के नवीकरण/मरम्मतें, स्वास्थ्य संस्थानों, जलापूर्ति स्कीमें, आदि जिला में विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना आदि के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था।

क) विकास में जन सहयोग

विकास में जन सहयोग स्कीम को जनवरी 1993 में विकासात्मक क्रियाकलापों में समूह भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित जैसे शिक्षा हेतु सरकारी भवनों का निर्माण, ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें, ग्रामीण सड़कें, लघु सिंचाई स्कीमें, बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु आरम्भ किया था। राज्य सरकार तथा क्षेत्र के लोगों के मध्य 85:15 के अनुपात सहित निधियन से यह एक राज्य प्रयोजित स्कीम है जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 75:25 अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र तथा 50:50 में शहरी क्षेत्र शामिल है तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित जनसंख्या सामान्य श्रेणी के प्रभुत्व वाली है।

2004-09 के दौरान उपायुक्त द्वारा जिला में विकासात्मक कार्यों हेतु निष्पादन अभिकरणों को 4.24 करोड़ रू0 निस्तारित किए। इसमें से 1.27 करोड़ रू0 निष्पादन अभिकरणों द्वारा प्रयुक्त किए गए थे तथा बाद में मार्च 2009 तक शेष राशि उनके पास पड़ी रही। बजट आवंटन की प्रयुक्ति प्रतिशतता 2004-05 के दौरान 79 से 2008-09 के दौरान तीन प्रतिशत तक कम हुई।

ख) क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी जिलों में स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, जलापूर्ति स्कीमों, सिंचाई कूहलों तथा ग्राम सम्पर्क सड़कों जैसी सरकारी स्वामित्व की सार्वजनिक

सम्पत्तियों के नवीकरण/मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आरम्भ की गई थी। कार्यों को इस स्कीम के अंतर्गत जिला योजना विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत चयनित विकास शीर्षों के सम्बन्ध में अनुमोदित योजना से पांच प्रतिशत निधियां ली गई तथा बजट में स्थान न मिलने पर छोटे कार्यों पर प्रयुक्त की जाने वाली "संयुक्त निधियों" के रूप में उपायुक्त के निपटानार्थ रखी गई ताकि सार्वजनिक शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2004-09 के दौरान, निष्पादन अभिकरणों को 10.93 करोड़ रू0 निस्तारित किए गए थे जिसके प्रति केवल 0.86 करोड़ रू0 (आठ प्रतिशत) प्रयुक्त किए गए थे। वित्तीय वर्ष के समापन पर अप्रयुक्त निधियों के प्रत्यर्पण के विशिष्ट निर्धारण के बावजूद निष्पादन अभिकरणों ने निधियों का अवरोधन किया। जिला योजना अधिकारी के अनुसार 0.86 करोड़ रू0 मूल्य के 82 कार्यों को पूर्ण किया गया था तथा 10.07 करोड़ रू0 लागत के 434 कार्य जून 2009 तक स्थल विवाद/स्थल चयन के कारण अपूर्ण रहे।

ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम

जिला सिरमौर शिमला संसदीय क्षेत्र का एक भाग है जिसमें शिमला तथा सोलन जिले भी शामिल हैं। उपायुक्त शिमला सिरमौर जिला को निधियों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी है।

2004-09 के दौरान, उपायुक्त शिमला द्वारा 25 करोड़ रू0 सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित कार्यों के लिए अनुमोदित तथा संस्वीकृति हेतु प्राप्त किए गए। इसमें से 2.98 करोड़ रू0 सिरमौर जिला को आंवटित किए थे। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त के पास 2004-05 के आरम्भ में 2.65 लाख रू0 की अव्ययित राशि पड़ी थी तथा निष्पादित अभिकरणों से 34.30 लाख रू0 बचत अभ्यपर्ण तथा 4.35 लाख रू0 का ब्याज़ जो कि बैंक खातों में जमा हुआ के कारण प्राप्त हुए। कुल उपलब्ध 3.39 करोड़ रू0 की राशि में से 2.94 करोड़ रूपए जिला के निष्पादन अभिकरणों को निस्तारित किए तथा 0.45 करोड़ रू0 का शेष जून 2009 तक उपायुक्त के पास अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

संसद सदस्य स्थानीय विकास स्कीम के अन्तर्गत संस्वीकृत कार्यों के ब्यौरे की छानबीन से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

संशोधित दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार (नवम्बर 2005) 44.07 लाख रू0 तथा 22.03 लाख रू0 क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के निवासस्थल क्षेत्रों के विकास हेतु निस्तारित किए गए हैं। तथापि, राशि की न तो संसद सदस्य द्वारा सिफारिश की गई थी अथवा न ही 2004-09 के दौरान उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया गया था। उपायुक्त ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2009)।

निष्पादन अभिकरणों की संस्वीकृत तथा निस्तारित 2.94 करोड़ रू0 के प्रति 2004-08 के दौरान उनके द्वारा किए गए केवल 2.06 करोड़ रू0 के व्यय का विवरण उपायुक्त कार्यालय के पास उपलब्ध था यद्यपि प्रयुक्ति प्रमाणपत्र समस्त राशियों के दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए, यद्यपि वास्तव में व्यय की गई राशि का ब्यौरा उस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए,

उपायुक्त ने अंतिम बैठक में बताया (अक्तूबर 2009) कि सम्बन्धित संसद सदस्य से निधियों की अधिकतम प्रयुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्यों की सिफारिश का अनुरोध किया जाएगा।

घ) विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना

जिला सिरमौर में पांच विधायक (विधानसभा सदस्य) है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अन्तर्गत 25 लाख रू0 2004-05 से प्रत्येक विधायकों को उनकी सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु निस्तारित किए गए थे। कार्यों को विधायकों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार चयनित किया जाता है तथा उपायुक्त से उनके निष्पादनार्थ संस्वीकृति प्राप्त की जाती है।

2004-09 के दौरान उपायुक्त ने 6.25 करोड़ रू0 प्राप्त किए तथा इसे कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया। इसमें से केवल 1.31 करोड़ खर्च किए गए तथा शेष मार्च 2009 तक कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़ा रहा।

जिला योजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 2009) कि समय पर संहिता औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण राशि को अगले वर्ष के लिए ले जाया गया।

सामान्य कार्यान्वयन मामले

इन चार स्कीमों के कार्यान्वयन की छानबीन के आम पहलुओं को निम्नवत् ध्यान में लाया गया है:

- वीएमजेएस, एसडीपी, एमपीएलएडीएस तथा वीकेवीएनवाई के अन्तर्गत संस्वीकृत सभी कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि, तीन नमूना जांचित खण्डों से पाया गया कि सम्पर्क सड़कों, सामुदायिक केन्द्रों आदि के निर्माण से सम्बन्धित 88 कार्यों[15] को 2004-09 के दौरान 84.17 लाख रू0 में संस्वीकृत करके जून 2009 तक निष्पादनार्थ न लेने के परिणामस्वरूप जनता को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।

- 1181 कार्यों[16] जैसे सामुदायिक केन्द्रों/महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, सड़कों आदि के निर्माण को 19.44 करोड़ रू0 की लागत के संस्वीकृत कार्य अप्रैल 2004 तथा जून 2008 के मध्य जुलाई 2009 तक अपूर्ण पड़े हुए थे। तीन नमूना-जांचित खण्डों में 1.98 करोड़ रू0 की लागत पर 128 कार्यों[17] को अप्रैल 2004 से जून 2008 के दौरान संस्वीकृत किया गया था जो कि जुलाई 2009 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे को अभी पूर्ण किया जाना था। इन कार्यों की पूर्णता में विलम्ब एक से 52 महीनों के मध्य था।

खण्ड विकास अधिकारी ने (जून-जुलाई 2009) कार्यों को आरम्भ न करना। कार्यपूर्णता में विलम्ब का

---

15 एमपीएलएडीएस: 35; एसडीपी: 26 तथा वीकेवीएनवाई: 27

16 एमपीएलएडीएस: 151; एसडीपी: 434; वीकेवीएनवाई: 510 तथा वीएमजेएस: 86

17 एमपीएलएडीएस: 19; एसडीपी: 33; वीकेवीएनवाई: 58 तथा वीएमजेएस: 18

कारण कार्य का विपथन करके अन्य स्थान पर करने, भूमि उपलब्ध न होना। भूमि विवाद स्थान के चयन में विलम्ब तथा ग्राम पंचायतों द्वारा असहयोग को बताया।

➢ संस्वीकृत निधियों में से सृजित परिसम्पतियों का ध्यान रखने के लिए परिसम्पति रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था। तथापि, इन रजिस्टरों का जिला/खण्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके कारण अनियोजित परिसम्पतियों का सृजन हुआ तथा इन परिसम्पतियों मेंसे परिकल्पित लाभों से जिला प्रशासन अपरिचित रहा।

इसप्रकार, जिले में अन्य विकासात्मक स्कीमों की तरह विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना इयादि को असमिन्वत ढंग से आरम्भ किया गया क्योंकि कार्यों को न तो उचित ढंग से नियोजित किया गया था तथा न ही निर्धारित समय पर पूर्ण किया गया जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। इन स्कीमों से सृजित परिसम्पत्तियां भी जिला प्रशासन से अपरिचित रहीं क्योंकि किसी भी स्तर पर परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

सिफारिशें

➢ *निष्पादित अभिकरणों के साथ राज्य/जिला प्रशासन को एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि यह कार्यों के नियोजन तथा पूर्णता को समय पर तथा लाभों को लोगों को निम्न स्तर तक पहुंचाये जाने को सुनिश्चित बनाया जा सके।*

6.2 रोजगार सृजन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने गरीबी की समस्या पर काबू पाने, बेरोजगारी कम करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति के लिए बहुत से पग उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, समाज के विशेषकर गरीब व असुरक्षित वर्गों को खाद्य सुरक्षा का प्रावधान करना अर्थव्यवस्था के विकास सहित महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में देखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने की दृष्टि से रोजगार जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित दो महत्वपूर्ण स्कीमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वर्णज्यंति ग्राम स्वरोजगार योजना है। सम्पूर्ण रोजगार योजना बाद में फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में मिला दी गई।

i) सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना के उद्देश्य उन जरूरतमंद तथा अपने गांवों के अंदर व चारों ओर कुशल व अकुशल कार्य के इच्छुक हों, को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी समुदायी, समाज व आर्थिक परिसम्पत्तियों और अवसंरचना को सृजित करना था। इस उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायतों को जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से कार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना था, जो वर्ष के आरम्भ में अनुमोदित किए जाने वाले कार्यों की व्यापक शेल्फ पर आधारित हो। जैसाकि परिच्छेद-7 में वर्णित है, योजना स्कीमें तदर्थ आधार पर उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की गई थी क्योंकि ग्राम पंचायतों तथा खण्डों ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना अथवा वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं नहीं बनाई थी। **परिणामतः, कार्यों को योजनाबद्ध तथा समन्वित ढंग की बजाए अनुभूत आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित किया गया था जिसके कारण कार्यों के निष्पादन में अतिव्याप्ति हुई और उपलब्ध निधियों की अवप्रयुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त, जिला/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्तर पर विभिन्न खण्डों तथा ग्राम पंचायतों में आरम्भ किये गये विकासात्मक कार्यों के ब्यौरे का डाटाबेस नहीं था।**

सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना का निधियन भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर था। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी नाहन द्वारा प्राप्त निधियों तथा वर्ष 2004-06 (फरवरी 2006 तक) के दौरान उनके प्रति प्रयुक्ति से सम्बन्धित वर्षवार स्थति निम्नवत् है:

तालिका: 16

(करोड़ रूपये)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त निधियां			जोड़	प्रयुक्त निधियां	अवययित बकाया (प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य	अन्य विविध प्राप्तियां			
2004-05	1.76	2.35	0.78	0.04	4.93	3.74	1.19 (24)
2005-06	1.19	2.20	0.73	0.11	4.23	2.98	1.25 (30)

स्रोत: विभागीय आंकड़े

इस अवधि के दौरान तीन नमूना खण्डों द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गई निधियों के ब्यौरे निम्नांकित है:

तालिका: 17

(लाख रूपए)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां	अन्य प्राप्तियां	जोड़	प्रयुक्त निधियां	अव्ययित बकाया (प्रतिशतता)
2004-05	13.44	155.50	1.26	170.20	162.41	7.79 (05)
2005-06	7.79	134.90	3.25	145.94	116.04	29.90 (20)

स्रोत: विभागीय आंकड़े

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विलय होने के पश्चात 29.90 लाख रू0 की अव्ययित राशि को इसमें हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा बचत बैंक खाते में ही रखा।

➢ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन

2004-06 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत सृजित रोजगार के ब्यौरे जैसे कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे को नीचे दिया गया है।

तालिका: 18

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं हेतु श्रम दिवस	अन्य के लिए श्रम दिवस	कुल सृजित श्रम दिवस
2004-05	1.76	0.03	1.54	3.33
2005-06	3.18	0.01	2.15	5.34
योग	4.94	0.04	3.69	8.67

स्रोत: विभागीय आंकड़े

रोजगार सृजन से सम्बन्धित वार्षिक लक्ष्य नहीं थे यद्यपि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने रोजगार सृजन हेतु टैंकों, क्रीड़ा मैदान आदि जैसे लघु कार्यों के निष्पादनार्थ योजना बनाई थी। अत: लक्ष्यों के साथ-साथ सृजित रोजगार की सीमा को प्राप्त नहीं किया जा सका। 2004-06 के दौरान जिला में संस्वीकृत 4,858 कार्यों में से 3,713 कार्य पूर्ण कर लिए गए थे तथा 1,145 कार्य जुलाई 2009 तक अपूर्ण पड़े रहे। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (जुलाई 2009) कि कार्यों को वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्वीकृत किया था तथा परिणामत: ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों का निष्पादन न करने/कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

तथ्य यह है कि इन कार्यों को संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा 2004-06 के पश्चात तीन वर्षों से अधिक की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। इन खण्डों में रोजगार सृजन से सम्बन्धित स्थिति को नीचे प्रतिवेदित किया गया है:-

तालिका: 19

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं हेतु श्रम दिवस	अन्य के लिए श्रम दिवस	सृजित कुल श्रम दिवस
2004-05	0.86	0	0.58	1.44
2005-06	0.90	0	0.63	1.53

स्रोत: विभागीय आंकड़े

दिशानिर्देशों के अनुसार 30 प्रतिशत रोजगार अवसर महिला लाभार्थियों के लिए चिन्हित किए गए थे।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है जिले में महिलाओं को रोजगार अवसर नगण्य थे तथा नमूना खण्डों में 2004-09 के दौरान महिला लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा नमूना खण्डों ने रोजगार उपलब्ध करवाए गए लोगों के श्रेणीवार ब्यौरे तथा प्रत्येक कार्य हेतु सृजित श्रम दिवसों की संख्या को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में रोजगार रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया था। इन ब्यौरों के अभाव में सृजित रोजगार के आंकड़े मस्टर रोल से सीधे तौर पर मिलाए गए। रोजगार रजिस्टरों में पूर्ण ब्यैरों के अभाव में सृजित किए गए प्रतिवेदित रोजगार को विशेषतया महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

सभी नमूना-जांचित 21 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणीवार ब्यौरे तथा महिलाओं लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई गई मजदूरी को मस्टररोल में अभिलिखित नहीं किया गया था। महिला लाभार्थियों के सम्बन्ध में 30 प्रतिशित रोजगार सृजित करना चाहिए था, जबकि 2004-06 के दौरान जिला में 8.63 लाख श्रमदिवसों में से महिलाओं हेतु केवल 0.04 लाख श्रमदिवस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने प्रतिवेदित किए जिसके परिणामस्वरूप 2.55 लाख श्रमदिवस मजदूरी रोजगार कम हुए। परियोजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 2009) कि रूढ़िवादी सोसाइटी होने के कारण मजदूरों का काम करने के लिए महिलाएं आगे नहीं आई।

ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 को फरवरी 2006 से जिला में कार्यान्वित किया जा रहा है। अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आजीविका सुरक्षा वृद्धि हेतु कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना है।

नरेगा के अन्तर्गत दक्ष तथा अर्धदक्ष मजदूरों का वेतन तथा सामग्री की लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी करनी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तथा राज्य सरकार गारंटी परिषद् के प्रशासनिक खर्चों को वहन करता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरमौर स्थित नाहन द्वारा प्राप्त निधियों की वर्षवार स्थिति तथा उसके प्रति 2005-09 के दौरान प्रयुक्ति को नीचे दिया गया है:

तालिका: 20

(करोड़ रूपए)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त निधियां		अन्य विविध प्राप्तियां	जोड़	प्रयुक्त निधियां	अवययित बकाया (प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य				
2005-06	--	5.35	--	0.01	5.36	0.40	4.96 (92)
2006-07	4.96	8.70	0.96	0.52	15.14	7.77	7.37 (49)
2007-08	7.37	5.86	1.20	0.15	14.58	10.18	4.40 (30)
2008-09	4.40	22.09	2.06	0.15	28.70	25.63	3.07 (11)
योग		**42.00**	**4.22**	**0.83**		**43.98**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

तीन नमूना खण्डों द्वारा इस अवधि के दौरान प्राप्त निधियों तथा खर्च के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका: 21

(करोड़ रूपए)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां	अन्य विविध प्राप्तियां	जोड़	प्रयुक्त निधियां	अव्ययित बकाया
2005-06	--	0.70	--	0.70	0.22	0.48 (69)
2006-07	0.48	3.66	0.10	4.24	3.30	0.94 (22)
2007-08	0.94	3.80	0.05	4.79	4.40	0.39 (8)
2008-09	0.39	11.48	0.03	11.90	10.75	1.15 (10)
योग		**19.64**	**0.18**		**18.67**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

नमूना खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जून-जुलाई 2009) कि निधियों की न्यून प्रयुक्ति ग्राम पंचायतों द्वारा धीमी प्रगति के कारण थी जिसके परिणामस्वरूप लोगों को रोजगार के कम अवसर प्राप्त हुए।

➢ नरेगा के अन्तर्गत रोजगार सृजन

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित 2005-09 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत सृजित रोजगार के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका: 22

(संख्या लाख में)

वर्ष	कुल सृजित श्रम दिवस (महिलाओं को छोड़कर)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं को श्रम दिवस	अन्य के लिए श्रम दिवस
2005-06	--	--	--	--
2006-07	6.71	2.58	0.20	4.13
2007-08	7.39	2.53	0.12	4.86
2008-09	14.28	5.58	0.58	8.70
योग	**28.38**	**10.69**	**0.90**	**17.69**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

स्कीम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में (2005-06) कार्यान्वित अभिकरणों द्वारा वर्ष के दौरान निधियों के प्राप्त न होने के कारण रोजगार सृजित नहीं किए थे।

स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की छानबीन से निम्नवत् बिन्दु उद्घाटित हुए:

2006-09 के दौरान जिला में जिन्होंने रोजगार की मांग की तथा वे जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया पंजीकृत जॉब कार्ड धारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका: 23

(संख्या में)

वर्ष	पंजीकृत किए गए कुल जॉब कार्ड धारियों की संख्या	जॉब कार्ड धारक जिन्होंने रोजगार की मांग की तथा उपलब्ध करवाया गया	जॉब कार्ड धारियों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया	जाब कार्ड धारक जिन्होंने रोजगार की मांग की परन्तु उन्हें 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया के संदर्भ मे कमी की प्रतिशतता
2006-07	31,534	20,453	457	98
2007-08	35,927	22,444	404	98
2008-09	54,619	28,796	1,681	94

स्रोत: विभाग द्वारा आपूति आंकड़े

कार्ड धारियों जिन्होंने रोजगार की मांग की थी को कानूनन गारंटीकृत 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने में 94 तथा 98 प्रतिशत के मध्य की कमी थी। वैध जॉब कार्ड धारियों जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया था, को रोजगार भत्ता नहीं दिया था। स्कीम के प्रभावी कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित अभिकरणों की योग्यता पर अपर्याप्त प्रभावों की कमी को दर्शाता है।

2006-09 के दौरान 28.38 लाख श्रम दिवसों को 66,138 कार्यकर्त्ताओं (जाब कार्डधारी) को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु सृजित किए थे। इनमें से महिला कार्य कर्त्ताओं को अपेक्षित श्रम दिवस 9.36 लाख (33 प्रतिशत) के प्रति केवल 0.93 लाख श्रमदिवस उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार, जैसाकि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है महिला लाभार्थियों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिए गये थे।

2006-09 की अवधि हेतु परियोजनाओं की शैल्फ में प्रक्षिप्त 9,852 कार्यों को पूर्ण किया जाना था। इसके प्रति केवल 5,508 कार्यों (56 प्रतिशत) का निष्पादन किया। इसप्रकार, ग्रामीण गरीब की जीविका के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन वांछित स्तर तक सुनिश्चित नहीं हुआ।

➢ मस्टररोल एवं भुगतान

नरेगा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र एकात्मकता संख्या सहित निर्धारित फॉरमेट में मस्टररोल ग्राम पंचायतें/निष्पादित अभिकरणों को खण्डों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना है। मस्टररोल को ग्राम पंचायतों तथा अन्य निष्पादित अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुरक्षित किया जाना भी अपेक्षित है।

21 नमूना-जांचित पंचायतों में यह ध्यान में आया कि मस्टररोल को निर्धारित मानकों में अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था तथा निम्नवत कमियां ध्यान में आई:

- जिला पच्छाद तथा संगड़ाह खण्डों की सभी नमूना-जांचित पंचायतों में मस्टररोल 2006-07 के दौरान जारी की गई जॉब कार्ड संख्या के कॉलम को दर्शाते हुए पुराने फॉरमेट में पाए गए।

- मजदूरी के भुगतान की तिथियों को मस्टररोल में नहीं दर्शाया था।
- मस्टररोल को निरीक्षण अधिकारियों ने उनके द्वारा कार्य के निरीक्षण के मामले में प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया था।
- मस्टररोल में दर्शाए कार्य के लिए एकमात्र संख्या नहीं दी गई थी।
- कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति को मस्टररोल में बिना साप्ताहिक आराम के सप्ताह के सात दिनों में दर्ज किया था।

दैनिक मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर करना अपेक्षित है या कार्य समाप्त होने की तिथि के पश्चात पन्द्रह दिनों से अधिक के बाद किसी मामले में नहीं किया जाता है। मजदूरी के भुगतान में कोई विलम्ब होने पर कार्यकर्त्ता मजदूरों को भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा। मई 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य 21 चयनित पंचायतों में से आठ में पंचायतों में 123 मस्टररोलों पर नियोजित 1,274 कार्यकर्त्ताओं ने 12.75 लाख रू0 अर्जित किए थे परन्तु उन्हें साप्ताहिक अथवा पन्द्रह दिनों के आधार पर चैक संग्रहण तथा संहिता औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण भुगतान नहीं किया था। इन मामलों में मजदूरी के भुगतान में विलम्ब पन्द्रह दिनों की अधिकतम अवधि से परे छः तथा 645 दिनों के मध्य था। उन्हें कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की गई।

➢ रिकार्डिंग एवं अनुश्रवण

परियोजना के शुरू तथा पूर्ण होने की तिथि, सम्मिलित लागत, प्राप्त लाभों, सृजित रोजगार, आदि हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित परिसम्पत्तियों की वस्तुसूची के अनुरक्षण हेतु दोनों स्कीमों में (सम्पूर्ण रोजागार योजना तथा नरेगा) दिशानिर्देश उपलब्ध है। यद्यपि कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की सूची नहीं बनाई गई थी।

सारांश:

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्राधिकारी मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करने में विफल रहे जिससे निर्धन एवं असुरक्षित वर्ग जैसेकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को सुरक्षित आजीविका प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा इन स्कीमों के माध्यम से गरीबी कम करने की सीमा संदेहपूर्ण रहीं।

6.3 ऊर्जा

मार्च 2009 तक जिले में 971 गांव में से 965 गांव (99 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया जा चुका था। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा शेष गांवों के विद्युतीकरण हेतु योजनायें बनाई हैं।

➢ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

भारत सरकार द्वारा मार्च 2005 में पांच वर्षों के भीतर सभी ग्रामीण घरों को विद्युत आपूर्ति हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का संचालन किया गया था। योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युत निगम केन्द्रक अभिकरण है जिसका उद्देश्य समग्र ग्रामीण विकास रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन है। योजना का कार्यन्वयन भारत सरकार से 90 प्रतिशत निधियन द्वारा किया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले घरों के विद्युतीकरण का वित्त प्रबन्ध 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मार्च 2005 में जिला सिरमौर के लिए उद्देश्यार्थ एक विस्तृत योजना रिपोर्ट को तैयार किया :

- 1024 विद्युतकृत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले घरों सहित 3805 विद्युत विहीन घरों का विद्युतीकरण।
- 965 विद्युतयुक्त गांवों में नए उप-स्टेशन/पारेषण लाइनों तथा वितरक ट्रांसफार्मर का प्रावधान तथा
- एक विद्युत विहीन बस्ति का विद्युतीकरण

संवीक्षा में पाया गया कि बोर्ड की उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र विद्युत विद्युतीकरण योजना फलीभूत नहीं हुई क्योंकि विस्तृत योजना रिपोर्ट ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को संव्वीकृति के (मार्च 2005) पांच महीनों के विलम्ब के पश्चात सितम्बर 2005 में भेजी गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विस्तृत योजना रिपोर्ट को (सितम्बर 2005) अढ़ाई वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात स्कीम के प्रस्तुत करने की तिथि से मार्च 2008 में अनुमोदित किया गया।

तत् पश्चात् बोर्ड ने फरवरी 2009 में टर्नकी आधार पर 45.93 करोड़ रू0 की निविदाओं को विभिन्न ठेकेदारों को एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने को प्रदान किया। अत: योजना में निविदा मूल्य में संस्वीकृत धन राशि (29.76 करोड़ रू0) की वृद्धि होने के कारण परियोजना लागत को (फरवरी 2009) संशोधित किया गया एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 49.69 करोड़ रू0 के लिए स्वीकृत करवाया गया।

इसप्रकार, विस्तृत योजना रिपोर्ट में विलम्ब से स्वीकृति के परिणमस्वरूप 19.93 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ-साथ चार वर्ष से अधिक योजना के लागू होने के पश्चात् (मार्च 2005) भी जिला सिरमौर के पात्र गृह स्वामियों को होने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ा।

सिफारिशें

- *राज्य सरकार को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना प्रस्तावों को समय पर तैयार किया गया तथा भारत सरकार से सम्पर्क बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि निर्धारित समय के भीतर विद्युत विहीन बस्तियों/गांवों को विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान की गई हैं।*

अध्याय: 7 सामान्य सेवाएं

7.1 ई-शासन

विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एनआईसी जो कि भारत सरकार का एक अभिकरण है जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन के सहयोगार्थ स्थापित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल खिड़की के माध्यम से 50 सेवा केन्द्रों को एक छत के नीचे सेवा प्रदान करने के लिए जिला में तहसील स्तर तक एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्र (आई-सीएससी) जिन्हें 'सुगम' केन्द्रों के नाम से जाना जाता है स्थापित किए गए हैं। सूचना प्रोत्साहन प्रौद्योगिकी संस्था तथा ई-प्रशासन (एसआईटीईजी) के सहयोग से आई-सीएससी का संचालन एवं प्रबन्धन जिला ई-शासन संस्था द्वारा किया जाता है।

i) सेवाएं

मूलत: प्रणाली को निम्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था:

तालिका: 24

प्रमाणपत्र	जीवन/मृत्यु, जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, निवास स्थान, विकलांगता स्तर, विवाह, राष्ट्रीयता, भारमुक्तता, सम्पन्नता, जीवित सदस्य तथा आय सम्बन्धी।
पंजीयन	जीवन/मृत्यु, विवाह निवार्चन सूची से सम्बन्धित।
राजस्व	सम्पत्ति पंजीयन, खतौनी/जमाबन्दी/खसरा/गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
लाइसेंस/आज्ञापत्र	चालक लाइसेंस जारी करना, नई गाड़ियों के पंजीयन प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक गाड़ियों के सांकेतिक कर, पता परिवर्तन, परिवहन रहित गाड़ियों के स्वामित्व परिवर्तन, परिचालक लाईसेंस को जारी करने तथा राशन कार्ड।
कृषि/बागवानी	महत्वपूर्ण मण्डियों के अभिज्ञानित पदार्थों के भाव की सूचना, विशेषज्ञों से सुदूर सहायता के माध्यम से फसल की बिमारी के उपाय।
उपयोगिता	विद्युत संयोजनों/अतिरिक्त भार से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र, विद्युत अदायगी, जल मल निकास तथा टैलीफोन बिल, सम्पत्ति कर तथा गृह कर। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस टिकट का तत्काल आरक्षण, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों का तत्काल आरक्षण, निजी होटल आरक्षण।
सामाजिक सेवाऐं	परिवार पेंशन के सम्बन्ध में सूचना, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी पेंशनरों की सहायता, तत्काल पुलिस सहायता इत्यादि।

स्रोत: सुगम अभिलेख

ii) सुगम केन्द्रों की कार्यप्रणाली

जिले में 10[18] ई-शासन केन्द्र हैं जो विभिन्न उप मण्डलों, तहसील तथा उप-तहसीलों को आवृत्त करते हैं। इन केन्द्रों में उपलब्ध तथा वास्तविक प्राप्य सेवाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका: 25

कुल सेवाऐं जो उपलब्ध करवाई जानी है		सेवाऐं वास्तव में उपलब्ध
जिला स्तर	37	5 (वाहन, सारथी, हिमरिस, हिमभूमी एवं ई-परमान)
उप-मण्डल स्तर	35	4 (वाहन, सारथी, हिमरिस तथा ई-परमान)
तहसील स्तर	33	2 (हिमरज तथा ई-परमान)
उप-तहसील स्तर	--	3 (हिमरज, ई-परमान तथा हिमभूमी)

इन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु निदेशक (आई टी) ने नवम्बर 2008 में पांच लाख रू0 जारी किए जो जुलाई 2009 तक एक बैंक खाते में अनुपयोगी पड़े रहे।

चार केन्द्रों यथा नाहन (जिला), राजगढ़ (उप मण्डल कार्यालय (सिविल) पच्छाद (तहसील) तथा ददाहू (उप तहसील) की आकस्मिक कार्यप्रणाली पर निरीक्षण से निम्नानुसार उद्घाटित हुआ:

- राज्य सरकार के निर्देशानुसार (नवम्बर 2007) सभी केन्द्र जो कि जिला/उपमण्डल/तहसील/उप-तहसील स्तर पर स्थापित किए गए हैं एक प्रकार के ही प्रतीक एवं आम सूचना पट्ट पर एक ही आम मार्का सुगम नाम से सम्मिलित किए जाएंगे। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2009) कि केन्द्र या तो 'सुगम' 'जन सुविधा ई-गवरनन्स केन्द्र' इत्यादि या तो विभिन्न मार्का नाम प्रयोग कर रहे थे अथवा स्थान को सूचित करने के लिए तथा केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के लिए जैसाकि निर्धारित किया गया है कोई नाम पटल नहीं था। इसके कारण जनता को परिहार्य असुविधा हुई।

छायाचित्र: 10

छायाचित्र: 11

नाहन तथा राजगढ़ केन्द्र पृथक मार्का नाम प्रयोग कर रहे थे

- सुगम केन्द्रों को ग्रामीण समुदाय को उनके घर द्वार पर सुविधा प्रदान करना था ताकि प्रशासन की विभिन्न पंक्तियों को हटा कर जन सम्बन्धी सेवाओं एवं सूचनाओं को एक छत के नीचे लाया जा

---

18 तीन उप मण्डल स्तर पर (नाहन, पांवटा साहिब तथा राजगढ़), तीन तहसील स्तर पर (पच्छाद, रेणुका जी तथा शिलाई) और चार उप तहसील स्तर पर (ददाहू, कमराहु, नौहराधार तथा रोहनाट)

सके। नमूना-जांच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाहन में ई-प्रमाण, वाहन तथा सारथी सेवाओं को उप मण्डल कार्यालय (सिविल) तथा हिमरिस तथा हिमभूमि को तहसील कार्यालय में उपलब्ध करवाया जा रहा था जिससे जनता को असुविधा हुई।

- सभी केन्द्रों में राज्य स्तरीय सम्पर्क हिमाचल राज्य विस्तृत क्षेत्र तंत्र के माध्यम से उपस्थिति बिन्दु स्थापित किए गए हैं। राजगढ़ उपमण्डल कार्यालय में प्रदान हिमस्वान सुविधा जो कि हिमस्वान सम्पर्क के लिए स्थापित की गई थी उपस्थिति बिन्दु के रूप में कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि यह उप-मण्डल कार्यालय (नागरिक) के कार्यालय से बहुत दूर स्थित है।

- आंकड़े को नियमित अंतराल पर साथ नहीं रखा जा रहा था तथा किसी आपातकाल विफलता के विषय में कोई भी कार्य निरन्तरता योजना नहीं थी। केवल जिला स्तर पर हिमभूमि आंकड़े के सम्बन्ध में साथ रखा जा रहा था।

- सुगम के कार्यान्वयन से यह परिकल्पित किया गया था कि सभी सेवाओं से सम्बन्धित प्रक्रिया को इलैक्ट्रॉनिक विधि से प्रदान करना प्रस्तावित था जो कि विनिर्मित एवं स्वचालित होगी। संवीक्षा में पाया गया कि नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न सेवाओं को अपने आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ले जाना पड़ता था जिससे एक छत के नीचे सभी सेवाओं को प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ।

अन्ततोगत्वा ई-गवरनन्स क्रियाकलापों के विषय में, जुलाई 2009 तक यद्यपि तहसील से जिला स्तर तक सुगंम केन्द्र परिकल्पित सेवाओं 33 से 37 के प्रति मात्र 2 से 5 सेवाओं को ही प्रदान कर रहे थे।

सिफारिशें

- *सुगम के माध्यम से परिकल्पित सेवाओं को देने के अतिरिक्त, सेवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए जैसाकि वर्तमान में नहीं है।*

- *सभी सुगम/ई-शासन केन्द्र के मानकीकृत नाम एवं प्रतीक होने चाहिए जो सभी जिलों एवं तहसीलों पर समानरूप से लागू हों।*

- *आपात सुधार योजना निर्धारित होनी चाहिए ताकि किसी भी आकस्मिकता से निपटा जा सके तथा प्रणाली में आंकड़ों को नियमित रूप से साथ रखा जाना चाहिए।*

7.2 नगर प्रशासन द्वारा नागरिक सुविधाएं

नगर में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करना नगर प्रशासन की जिम्मेदारी है। सिरमौर जिला में नाहन एवं पांवटा नगरों के लिए दो नगर परिषदें हैं तथा एक राजगढ़ नगर के लिए नगर पंचायत है। नगर परिषदें तथा नगर पंचायत एक स्वाशासित संस्थान के रूप में कार्य करती है तथा अनुदान एवं निधियों को सरकार से प्राप्त कर रही थीं। ये संस्थान कर, किराया, लाइसैंस जारी करना, कार पार्किंग इत्यादि से राजस्व अर्जित करते हैं तथा इन निधियों को जनता को पर्याप्त नागरिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए उपयोग करते हैं।

i) विकासात्मक कार्यों का निष्पादन

लेखापरीक्षा में 2004-09 की अवधि के लिए दोनों नगर परिषदों तथा नगर पंचायत की कार्यप्रणाली की समीक्षा (जुलाई 2009) की गई जिसमें निधियों के कुप्रबन्धन के उदाहरण थे जो कि विकासात्मक कार्यों के लिए थे जिसने आम जनता को अभिप्रेत लाभों से वंचित रखा जैसा कि निम्न निष्कर्षों से प्रमाणित है:

- शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना तथा सफाई व्यवस्था के सुधार हेतु राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा के अंतर्गत निदेशक शहरी विकास विभाग से पार्किंग, प्रसाधनों एवं उद्यानों के निर्माण हेतु निगम परिषद पांवटा तथा नाहन प्रत्येक[19] ने 35 लाख रू0 (अप्रैल 2007) में प्राप्त किए। इन निधियों को निर्धारित करने वाली शर्तों के अनुसार वर्ष 2007-08 के वित्तीय वर्ष में निधियों का उपयोग हो जाना चाहिए था। इन कार्यों में से किसी को भी जुलाई 2009 तक आरम्भ नहीं किया गया था। नगर परिषद के कार्यालय के सामने क्रीड़ा उपस्कर की खरीद जो कि मुख्य उद्यान में स्थापित किए गए थे तथा उसी उद्यान में मिट्टी भराई हेतु निगम परिषद पांवटा ने 7.27 लाख रू0 व्यय किए तथा शेष 27.73 लाख रू0 की धन राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। निगम परिषद नाहन को आबंटित निधियां अभी भी अप्रयुक्त पड़ी थी।

- लघु एवं मध्यम नगरों के एकीकृत योजना के अन्तर्गत पांवटा में पार्किंग एवं सामुदायिक भवन के (जुलाई 2002) निर्माणार्थ 92.79 लाख रू0 प्रदान किए गए जो कि 18 महीने के निर्धारित समय में पूरा किया जाना था। ठेकेदार ने अगस्त 2002 में कार्य आरम्भ कर दिया था तथा निष्पादित कार्य हेतु मार्च 2006 तक उसे 39.18 लाख रू0 दिए गए थे। इसके पश्चात कार्य को रोक दिया गया तथा इस कार्य के लिए उपलब्ध निधियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत दूसरे कार्यों जैसेकि विपणन परिसर पर खर्च कर दिया गया। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत उपायुक्त सिरमौर ने कार्य को पूरा करने हेतु 23.75 लाख रू0 की (जुलाई 2008) प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की तथा (जुलाई 2008) इस उद्देश्यार्थ 19 लाख रू0 जारी किए। जुलाई 2009 तक शेष कार्य को प्राक्कलन अनुमोदन के अभाव में उपायुक्त सिरमौर द्वारा प्रदत्त निधियों का भी उपयोग नहीं किया जा सका। इसप्रकार, तीन वर्ष से अधिक तक कार्य को निलम्बन अवस्था में रखने के कारण खर्च की गई 39.18 लाख रू0 की राशि निष्फल रही तथा जनता को अभिप्रेत लाभों को

---

19 नगर निगम नाहन: नया बाजार नाहन में ठहराव के लिए तथा नगर निगम पांवटा: मुख्य ठहराव तथा शौचालय के लिए

प्रदान नहीं किया जा सका जैसाकि निम्न चित्र से देखा जा सकता है:

छायाचित्र: 12

39.18 लाख रू0 व्यय करने के पश्चात् पांवटा का पार्किंग एवं सामुदायिक हॉल का अधूरा कार्य

ii) कचरा प्रबन्धन

निगम प्राधिकारी निगम ठोस कचरा संग्रहण, भण्डारण, पृथक्करण परिवहन संसाधन एवं निपटान के लिए उत्तरदायी है। जिले में ठोस कचरा प्रबन्धन की प्रक्रिया की समीक्षा में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

- निगम परिषद् पांवटा क्षेत्र में 9 से 10 टन कचरे की उत्पत्ति होती है। नगर में इस कचरे के संग्रहण के लिए 75 खुली कचरापेटी तथा 25 डम्पर पात्र प्रदान किए गए थे। निदेशक शहरी विकास विभाग ने (मार्च 2006) ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 12वें वित्तायोग के अन्तर्गत 51.29 लाख रू0 जारी किए। इस उद्देश्य के लिए नगर परिषद पांवटा को केदारपुर गांव के समीप 2.10 बिघा भूमि पहले ही (दिसम्बर 2003) दे दी गई थी। 51.29 लाख रू0 में से 12.86 लाख रू0 (डम्पर प्लेसर 7.38 लाख रू0; डम्पर पात्र 2.86 लाख रू0: कचरा रिक्शा 1.79 लाख रू0 तथा क्षेपण भूमि को विकसित करने के लिए 0.83 लाख रू0) को व्यय किया गया था तथा 38.43 लाख रू0 की शेष राशि जुलाई 2009 तक अप्रयुक्त पड़ी रही जिसका कारण क्षेपण भूमि के स्थान के कार्य को क्षेपण भूमि स्थान के समीप रहने वाले ग्रामीणों ने रोक (मई 2007) दिया था। किसी क्षेपण भूमि के अभाव में नगर का सारा कचरा यमुना नदी के किनारे क्षेपित किया जा रहा था जैसाकि निम्न चित्र में दर्शाया गया है।

छायाचित्र: 13

नगर परिषद पांवटा द्वारा यमुना नदी के तल पर क्षेपित किया जा रहा कचरा

छायाचित्र: 14

0.83 लाख रू0 व्यय करने के पश्चात ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना का अधूरा कार्य

कार्यकारी अधिकारी पांवटा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (जुलाई 2009) बताया कि मामले की चर्चा सदन में की जा चुकी है तथा क्षेपण भूमि से सम्बन्धित केदारपुर गांव के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- निगम परिषद नाहन क्षेत्र प्रतिदिन सात से नौ टन कचरे को उत्पन्न करता है। इस अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए 45 खुली कचरापेटियों तथा 19 डम्पर पात्रों को प्रदान किया गया है। नगर परिषद पांवटा तथा नाहन दोनों में डम्पर, पात्रों के माध्यम से कचरा जोकि खुली कचरापेटियों में एकत्रित किया जाता है यमुना नदी के किनारे/एसडब्ल्यूएम तक खुली ट्रैक्टर ट्राली से परिवहन किया जाता है जिसे निम्नचित्र में देखा जा सकता है:

छायाचित्र: 15

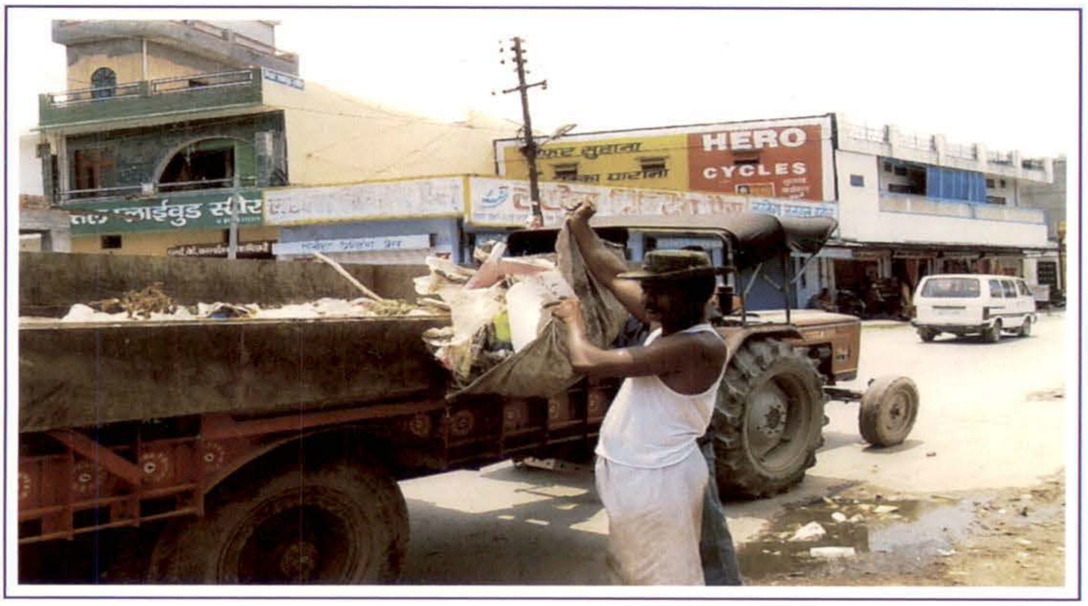

नगर परिषद पांवटा द्वारा खुली ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा वहन किया जा रहा है

यह पाया गया कि 7 से 9 टन कचरे में से लगभग 60 प्रतिशत कचरा अजैविक अवकृष्ट है। ठोस कचरा संयंत्र में मात्र जैविक अवकृष्ट ठोस कचरे को ही कम्पोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार, ठोस कचरा संयंत्र के समीप 60 प्रतिशत कचरा खुले में पड़ा हुआ था जैसाकि निम्नचित्र में देखा जा सकता है।

छायाचित्र: 16

ठोस कचरा संयंत्र नाहन

छायाचित्र: 17

ठोस कचरा प्रबन्धन संयंत्र नाहन के समीप अजैविक अवकृष्ट कचरा अव्यवस्थित पड़ा हुआ था

कार्यकारी अधिकारी नाहन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2009) बताया कि परियोजना प्रतिवेदन में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत 75 लाख रू0 की निधि की मांग अजैविक अवकृष्ट क्षेपित करने के लिए एक प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जैसे ही निधियों को प्राप्त किया जाएगा क्षेपण जगह को तैयार करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

➢ राजगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन छः क्विंटल कचरे की उत्पत्ति होती है। इस कचरे को एकत्रित करने के लिए नगर पंचायत ने 12 खुले एवं 20 आवृत कूड़ेदानों को रखा है। नगर पंचायत के पास इस कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने हेतु कोई भी ठोस कचरा संयंत्र नहीं है। कचरे को खुले टिप्पर में सुरक्षित वन में जो कि लगभग नगर पंचायत क्षेत्र से 3 कि0मी0 दूरी पर है परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग ने सुरक्षित वन में कचरा क्षेपण के लिए नगर पंचायत के वाहन को जब्त किया था (अप्रैल 2009)। वर्तमान जगह के समीप 1.17 वीघा क्षेपण जगह प्रस्तावित है जहां पर कचरे को क्षेपित किया जा रहा था तथा नगर-पंचायत के नाम पर भूमि के स्थानान्तरण की प्रक्रिया चल रही थी। कचरे के निपटान हेतु वर्तमान क्षेपण स्थान

का आस-पास रहने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा था तथा नगर पंचायत प्राधिकारी को नगर पंचायत के कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को पीटने की धमकी दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप सारा कचरा नगर पंचायत में बिखरा हुआ था जैसाकि निम्नचित्र में देखा जा सकता है:

छायाचित्र: 18

राजगढ़ बस स्टैंड पर कूड़ा पात्र से परिवाह हो कर फैला हुआ कचरा

राजगढ़ नगर पंचायत सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2009) बताया कि राजस्व प्राधिकारियों को भूमि नगर पंचायत के नाम करने के लिए नियमित रूप से निवेदन किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि कचरे के निपटान हेतु अन्य कोई योजना नहीं है क्योंकि नगर पंचायत के पास कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

संक्षेप में जिले में नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के पास संग्रहण, भण्डारण, पृथककरण, परिवहनार्थ, विधायन तथा नगर के ठोस कचरे के निपटान के लिए समान्वित कचरा प्रबन्ध योजना नहीं थी जिससे जनता को अनउपचारित कचरे तथा प्रदूषण से जोखिम में डालना था।

सिफारिशें

- *लागत वृद्धि एवं समयसीमा में कार्य सम्पन्नता को सुनिश्चित बनाने के लिए निगम परिषदों द्वारा विकास कार्य के निष्पादन का अनुश्रवण प्रभावशाली ढंग से करने की आवश्यकता है।*
- *कचरा प्रबन्धन योजना को भी समान्वित तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है ताकि नगर के ठोस कचरे के निपटान के प्रबन्धन को सुनिश्चित बनाया जा सके।*

आठवां अध्याय: अनुश्रवण तंत्र तथा मूल्यांकन प्रभाव

8.1 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

उपायुक्त जिले में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समग्र अनुश्रवण एवं प्रगति तथा बजट के अंतर्गत निर्धारित समय पर उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। जहां बहुत सी केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के अनुश्रवण आवश्यकताओं का उल्लेख होता है। साधारणतया बहुत सी योजनाओं की प्रगति की उपायुक्त द्वारा निकटता से मासिक/त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण करने की आवश्यकता होती है। हर तिमाही को योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला योजना तथा विकास कमेटी द्वारा की जानी आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, निम्नानुसार विकासात्मक कार्यों/परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा पर्यवेक्षण की सीमा को विभिन्न स्तर पर किए जाने को निर्धारित किया गया है:

तालिका: 26

नामित अधिकारी	किए जाने वाले निरीक्षण की प्रतिशतता
खण्ड विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता	100
जिला योजना अधिकारी	15
अतिरिक्त उपायुक्त /अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	5
उप मण्डल अधिकारी	10
उपायुक्त	4
राज्य योजना विभाग से कर्मचारी	1

केन्द्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में निर्धारित निजी निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के अतिरिक्त योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा सामायिक समीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से की जानी थी तथा व्यय विवरण ग्राम पंचायत से खण्ड, खण्डों से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/उपायुक्त, उपायुक्त से राज्य सरकार तथा आगे केन्द्रीय सरकार को विभिन्न स्तरों द्वारा भेजी जानी थी।

तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण लापरवाही के साथ किया जाता था। 2004-09 के दौरान जिला नियोजन एवं विकास समिति की 15 बैठकों के प्रति केवल पांच बैठकें ही बुलाई गई थीं। यह सूचित किया गया कि कार्यों/योजनाओं के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा जिलाधीश खण्ड विकास अधिकारियों के साथ मासिक बैठकों में करते थे। तथापि ऐसी बैठकों में विचार विमर्श एवं निर्णय का अभिलेख नहीं है अथवा योजनाओं के निष्पादन में रूकावटों पर काबू पाने के लिए यदि कोई अतिरिक्त निर्देश है का कोई अभिलेख नहीं था। जबकि जिला पंचायत अधिकारी ने बताया (जुलाई 2009) कि जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश दोनों द्वारा क्षेत्रीय दौरे किए गए थे, परन्तु कार्यालय में ऐसे दौरों से सम्बन्धित कोई भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

नमूना खण्डों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय विवरणी मासिक आधार पर जिलाधीश को नहीं भेजी जा रही थी। जिला पंचायत अधिकारी ने बताया (जुलाई 2009) कि सम्बंधित अभिकरणों से नियमित रूप से सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे।

8.2 शिकायत निवारण

राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों से सम्बन्धित सेवाओं/लाभों की जिला स्तर पर जनता की शिकायतों के लिए एक तंत्र स्थापित किया था। एक शिकायत कक्ष जिलाधीश कार्यालय में कर्मचारी सहित स्थापित किया गया है जो कि दो तरह की शिकायतों की आवश्यकता पूर्ति करता है-(क) वह जो गर्वनर, मुख्यमंत्री तथा राज्यमंत्री तथा (ख) सामान्य जनता के माध्यम से प्राप्त होती हैं। राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारणार्थ (क) एक माह तथा वह जो (ख) में है डेढ़ माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। शिकायत प्राप्ति की संख्या के संबंध में तथा वह जो पिछले पांच वर्षों में बताई गई हैं (मार्च 2009 तक) जैसाकि जिलाधीश कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित की गई हैं को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट- 11

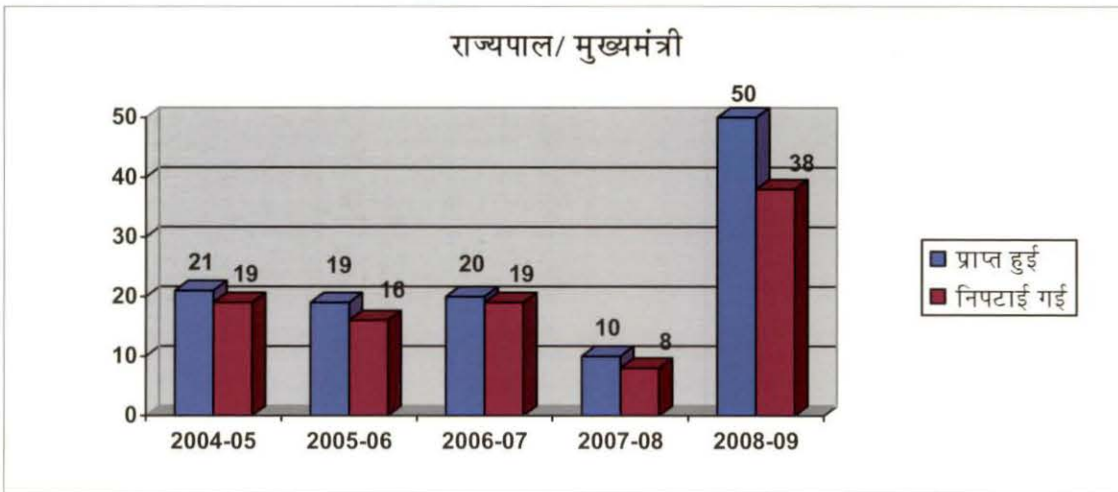

चार्ट- 12

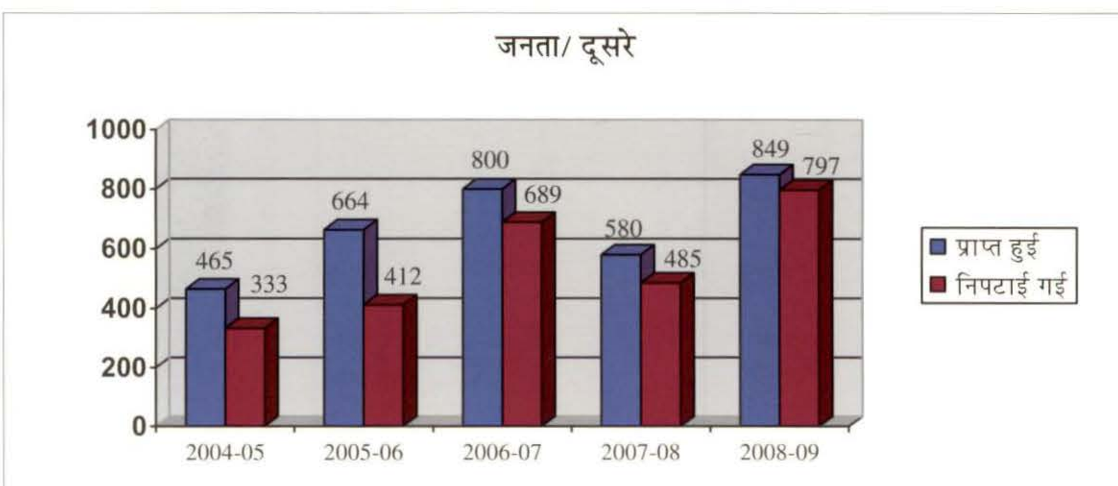

संक्षिप्त में, जिले में स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों पर विभिन्न स्कीमों की प्रगति के कार्यान्वयन के अनुश्रवण तथा निरीक्षण को लापरवाही से किया जा रहा था जिससे विभिन्न विभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों के अन्तर्गत किए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई। परिणामत:, सामाजिक एवं आर्थिक कई कार्यों की आवश्यकता से अधिक लागत एवं समय सीमा में वृद्धि हुई जिससे इन विकासात्मक स्कीमों के लाभों से जनता को वंचित रहना पड़ा।

सिफारिश

- *अनुश्रवण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण को स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों पर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रमों को समय पर लागत सीमा में निष्पादित किया जा सके तथा चूक के मामलों में समय पर सही निर्णय लिया जा सके।*

अध्याय नौ: सारांश

कार्यक्रम एवं स्कीमें अधिक है तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या भी अधिक है जिससे जिला प्रशासन के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों का प्रभावशाली अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना कठिन होता है। जबकि लगभग सभी विकासात्मक कार्यक्रम एक ही समूह के लाभार्थियों पर लक्षित है, एकीकृत केन्द्र बिन्दु के बिना असंख्य कार्यक्रमों के प्रचलन से उनमें से प्रत्येक को अकेले ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था।

मूलभूत सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि में कुशलता तथा प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा व्यापक रूप से क्षेत्रीय स्तर पर विशेषतया पंचायती राज संस्थाओं को इन्हें प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। इस अभिप्राय से यह भी सुनिश्चित करना है कि स्थानीय सरकार जिला, खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का पालन करने के लिए सशक्त हैं जो कि उन्हें संवैधानिक रूप से दिए गए हैं। यह पाया गया कि योजना प्रक्रिया में इन स्तरों पर पर्याप्त भागेदारी के अभाव में जिले की योजना प्रगति तथा निम्न स्तर पर महसूस आवश्यकताओं में रूकावट पैदा कर रहे हैं। जबकि, पंचायतीराज संस्थान अपने क्षेत्र की एकीकृत विकास विशिष्ट योजनाओं के तैयार करने के लिए सशक्त हैं, इन स्तरों से वार्षिक कार्य संरचना योजना तथा निर्माण क्षमता के अभाव में विभिन्न कार्याक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इनको प्रदान की गई निधियों को खर्च न कर सकने के परिणामस्वरूप हुआ।

स्कीमों के निष्पादन के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुश्रवण तंत्र या तो स्थापित नहीं किया गया है अथवा कार्य नहीं कर रहा है, जैसाकि परिकल्पित किया गया था। जबकि खण्ड/सेवा के एकीकृत विकास को उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं सूत्रबद्ध की गई है, इन्हें अपेक्षित औपचारिकताओं जैसे कि वन भूमि हेतु स्वीकृति अथवा भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त करना सहित अनुपालना न किये जाने के कारण समयबद्ध ढंग से निष्पादित नहीं किया जा सका था। राज्य सरकार को वांछित गति से जिले के वास्तविक विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से इन गम्भीर मामलों पर ध्यान देना होगा।

रीता मित्रा

(रीता मित्रा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: